

व्यापार सूचना संख्या : एपीडा/क्यू/56/2017-18

दिनांक: 21 अगस्त, 2017

## यूरोपीय संघ के लिए ताजा टेबल अंगूरों के निर्यात हेतु प्रक्रिया



कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण  
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,  
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016

दूरभाष: 26861502, 26513219 फैक्स: 26519259 ई-मेल: [headq@apeda.gov.in](mailto:headq@apeda.gov.in); [gmc@apeda.gov.in](mailto:gmc@apeda.gov.in)  
वेबसाइट: [www.apeda.gov.in](http://www.apeda.gov.in)

दिनांक 21 अगस्त 2017 की व्यापार सूचना सं: एपीडा/क्यू/56/2017-18

### यूरोपीय संघ के लिए ताजा टेबल अंगूरों के निर्यात हेतु प्रक्रिया

#### पृष्ठभूमि

ताजे अंगूरों के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी एवं आरसी) द्वारा उपयोग के लिए अनुमति एवं केमिकल के अवशिष्ट स्तर की मॉनिटरिंग एक प्रमुख विषय है। यह आवश्यक है कि आयातक देशों के निर्धारित स्तर से अधिक ताजे अंगूरों में एग्रोकेमिकल्स और किसी भी अन्य दूषित पदार्थों के अवशिष्टों की पहचान / उपस्थिति की संभावना को समाप्त करने के लिए उचित निगरानी के माध्यम से यथोचित मॉनिटरिंग की जाए। तदनुसार आयातक देशों के खाद्य सुरक्षा मानदण्डों के साथ अनुपालन करने वाले निर्यात हेतु अंगूर की खेती में उपयोग किए जाने वाले कृषि रसायनों की जांच / सत्यापन करना आवश्यक है। फाइटो सेनेटरी प्रमाण-पत्र (पी.एस.सी) को जारी करने से पहले एग्रमार्क मानकों के अनुसार ताजा टेबल अंगूरों को ग्रेड देना भी आवश्यक है। भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अधिसूचना संख्या 128 (आरई -2018) / 2009-2014 दिनांक 3 जनवरी, 2013 विदेशी व्यापार की धारा 5 के तहत जारी की गई (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 भारत के राजपत्र में प्रकाशित और उसमें संशोधन के बाद, यूरोपीय संघ को ताजा अंगूर का निर्यात एपीडा के पंजीकरण के अधीन है। कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए:

1	उद्देश्य	1.1	फॉर्म और प्लॉट स्तर पर निर्यात योग्य ताजा टेबल अंगूरों में एग्रोकेमिकल्स के अवशिष्टों को नियंत्रित करने की प्रणाली को स्थापित करना।
		1.2	अंगूर फॉर्मों या प्लॉट्स और पैकहाउसों की मिट्टी और पानी में रासायनिक अवशिष्टों को मॉनिटर करना।
		1.3	अंगूर की खेती के दौरान और साथ ही साथ अन्य रसायनों को ट्रैस करने के लिए अंगूर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (अंगूर) द्वारा अनुशंसित और/ या सी.आई.बी एंड आर.सी द्वारा पंजीकृत रसायनों के अवशिष्टों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी प्रणाली को स्थापित करने के द्वारा निर्यात की सुविधा उपलब्ध करना।
		1.4	इन प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थापित अवशेषों के स्तर के साथ-साथ एक आंतरिक चेतावनी सूचना जारी करने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

		1.5	यह सुनिश्चित करना कि भारत से यूरोपीय संघ (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमर्बर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम) के साथ यूरोपीय संघ के अतिरिक्त सुरक्षा मानदण्डों का पालन करने वाले अन्य देशों द्वारा निर्यातित अंगूरों में निर्धारित स्तर से अधिक में कृषि रसायनों के अवशेषों का परीक्षण न किया जाए।
		1.6	यूरोपीय संघ बाजार के साथ-साथ यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा मानदण्डों का पालन करने वाले अन्य देशों के लिए गुणवत्ता वाले अंगूर के निर्यात को सुनिश्चित करने की वृष्टि से विषयन और निरीक्षण विभाग (डी.एम.आई) द्वारा एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण पत्र (सी.एस.जी) के अनुदान के माध्यम से अंगूर के ग्रेड वर्गीकरण प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।
2	स्कोप	2.1	सभी अंगूर के फॉर्म और प्लॉट्स जो निर्यात के लिए अंगूर का उत्पादन करने के इच्छुक हैं, निर्यातक, एपीडा मान्यता प्राप्त पैक हाउस, एपीडा द्वारा सैम्पलिंग, विश्लेषण और ग्रेडिंग के लिए अधिकृत प्रयोगशालाएं और उनमें संलग्न कार्मिक, एन.आर.एल, एन.आर.सी अंगूर, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड, डी.एम.आई, कृषि / बागवानी के संबंधित राज्य सरकार के विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर) और किसानों, उत्पादकों और निर्यात के लिए खेती करने वाले अंगूर के निर्यातकों को किसी भी रूप में विस्तार प्रदाता सहित अन्य एजेंसियां / हितधारकों के साथ यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर की खेती करने वाले ताजे टेबल अंगूर के किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों को किसी भी रूप में विस्तार प्रदाता इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।
		2.2	प्रोडक्ट रिकॉल, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पेपर वर्क को कम करने के लिए कार्यान्वित की गई प्रक्रियाओं की ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के उद्देश्य के साथ ग्रेपनेट के माध्यम से वेब-आधारित ट्रेसबिलिटी की सुविधा उपलब्ध करना।
3	किसानों / उत्पादकों और	3.1	प्रत्यक्ष खेती के संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रत्येक

	उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा निर्यात किए जाने वाले अंगूरों का उत्पादन करने वाले खेतों के पंजीकरण की प्रक्रिया		किसान जो निर्यातक के रूप में अंगूर को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात या आपूर्ति करने का इच्छुक है उसे संलग्नक-1 में दिए गये अंगूर फार्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के आधार संबंधित जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारी को अपने फॉर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
		3.2	किसान से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की यथार्थता की जांच करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही इस दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य रिकॉर्ड की अपेक्षा जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी कार्यालय द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। वह यह भी सत्यापित करेंगे कि प्लॉट निर्यात के लिए निलंबित / रद्द तो नहीं हैं। प्लॉट में किसान से कृषि / बागवानी कार्यालय द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र लिया जाएगा। संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड में दर्ज किसी भी गलत / अधूरी जानकारी के लिए और किसान को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए सीधे जिम्मेदार होगा।
		3.3	प्रत्येक किसान द्वारा संलग्नक-2 के अनुसार “प्लॉट पंजीकरण और फील्ड एग्रोकेमिकल एप्लिकेशन रिकॉर्ड” शीर्षक के प्रारूप के अनुसार पंजीकरण और एग्रोकेमिकल एप्लिकेशन रिकॉर्ड बनाए रखा जाए। पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा खेत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फार्म पंजीकरण का प्रारूप अनुबंध -2 ख में दिया गया है। किसान द्वारा खेत पर स्थायी रूप से किसान का नाम और प्लॉट पंजीकरण संख्या प्रदर्शित की जाए। किसान और निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए और अपना पूरा पता लिखा जाए। यह अनिवार्य है। यदि संलग्नक-2 को पूरा नहीं किया गया है और प्रयोगशाला को एक प्रति उपलब्ध की गई है तो प्रयोगशालाएं, कृषि रसायन अवशिष्टों के लिए सैम्पलों का परीक्षण करने में सक्षम नहीं होंगी।
		3.4	पंजीकृत / पंजीकृत होने का इरादा रखने वाले खेतों में रसायनों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो विकास परीक्षणों के अंतर्गत हैं और सीआईबी और आरसी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि / बागवानी अधिकारी) ऐसे

		<p>रसायनों का गैर-उपयोग सुनिश्चित करेगा और किसानों को तदनुसार शिक्षित भी करेगा। निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि / बागवानी अधिकारी), पंजीकृत खेतों की निगरानी और अनुलग्नक -2 में उनके आंकड़ों के आधार पर, परीक्षण के उद्देश्य से परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं को अनुमति दे सकता है, यदि उपयोग किए गए रसायन परीक्षण के दायरे से परे नहीं हैं। अनुलग्नक 9 और स्प्रे रिकॉर्ड में प्रतिबंधित रसायनों का कोई उपयोग नहीं दिखाया गया है।</p>						
	3.5	<p>संलग्नक -2 में आस-पास के खेतों / प्लॉट के विवरण के साथ लेआउट का वर्णन किया जाए। पहचान के निर्देश सहित विस्तृत विवरण या बैंचमार्क देते हुए लेआउट का एक रेखाचित्र/स्केच संलग्न किया जाए जिसमें देर से पंजीकृत किए गए प्लॉटों का विवरण हो। जहां लागू हो वहां संलग्नक (अनुच्छेद 3.6, 3.13 और 4.3) को संलग्न किया जाए। रेखाचित्र/स्केच पर कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक मुहर के नीचे भी हस्ताक्षर किया जाए।</p>						
	3.6	<p>पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत प्लॉट के रेखाचित्र/लेआउट को तैयार करने के लिए कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है:</p> <p>क.) प्लॉट की दिशाओं (उत्तर, पूर्व आदि) को इंगित करें।</p> <p>ख.) जहां प्लॉट के अन्य प्लॉट (अपंजीकृत) हैं या अन्य फसल उग रही हैं) वहां सड़कों, नागरिक संरचनाओं (झोपड़ी, घर, रेलवे क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिकल सुपर स्टेशन, आदि), नहरों, फुट-पाथ, जैसे बैंचमार्क इंगित करें, और</p> <p>ग.) अन्य किसानों के खेतों को स्पष्ट रूप से इंगित करें।</p>						
	3.7	<p>प्रत्येक खेत को प्लॉट के स्तर पर एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी, जो कृषि / बागवानी अधिकारी के प्रभार में होगी, जिसका मुख्यालय खेत के पास है। फार्म / प्लॉट को केवल निम्नलिखित कोड प्रारूप को अपनाकर एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>राज्य</td> <td>ज़िला</td> <td>तालुक/मंडल</td> <td>उत्पाद</td> <td>फार्म सं.</td> <td>प्लॉट सं.</td> </tr> </table>	राज्य	ज़िला	तालुक/मंडल	उत्पाद	फार्म सं.	प्लॉट सं.
राज्य	ज़िला	तालुक/मंडल	उत्पाद	फार्म सं.	प्लॉट सं.			

			AA	01	01	001	001	01
		3.8	प्लॉट पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल पंजीकरण प्राधिकरण के हस्ताक्षर के अंतर्गत ग्रेपनेट के माध्यम से जारी किया जाएगा।					
		3.9	1 हैक्टेयर तक के पंजीकरण प्रयोजन को एक इकाई माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्लॉट के भीतर छंटनी की तारीखों में 15 दिनों से अधिक का अंतर है (भले ही इसका क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर से कम हो), इसे दो भूखंडों के रूप में माना जाएगा और इसमें दो अलग-अलग पंजीकरण नंबर होंगे।					
		3.10	यदि किसी खेत में केवल एक प्लॉट है, तब भी अंत में '01' का उल्लेख करके पंजीकरण संख्या प्लॉट के स्तर तक होगी।					
		3.11	फार्म के प्रत्येक प्लॉट को पृथक रूप से पंजीकृत किया जाएगा जैसे AA-11 22 001 3333 01, 02, आदि। फार्म को निर्यात के लिए उपयोग करने का प्रयोजन नहीं है। उसे/उन्हें एक ही प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत किया जाए। पंजीकरण प्रमाण-पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा नियत सत्यापन और उनके हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाए।					
		3.12	खेत का पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य होगा। हालाँकि, सभी पंजीकृत अंगूर किसानों को निर्यात के इरादे से, हर साल अपने खेतों का पंजीकरण सत्यापन करना होगा। अंगूर गार्डन/बाग का पंजीकरण/नवीनीकरण संलग्नक-1 में दिए गये प्राउर्प के अधार पर पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा हर वर्ष 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच किया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसान 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। हालाँकि, अगर कोई किसान अच्छी फसल की उम्मीद करता है और अपनी उपज का निर्यात करने का इच्छुक है, तो उसे प्लॉट को वेरिसन स्टेज से पहले पंजीकृत करना होगा (कृपया पैरा 3.4 देखें)।					

	3.13	पैरा 3.2 से 3.12 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद, आवेदक को प्लॉट, किसान, गांव, तालुका, मंडल, जिले का नाम, सर्वेक्षण संख्या / गैट संख्या (यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है) का विवरण दर्शाते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
	3.14	<p>पंजीकरण / नवीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित निर्देशों के साथ होगा जिसे भी निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा अपनी आधिकारिक मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया जाएगा:</p> <p>क.) किसान/पट्टा/पट्टा संगठन द्वारा अंगूरों पर केवल उन्हीं एग्रोकेमिकल्स का उपयोग किया जाए जिनकी अनुमति दी गई है और जो संलग्नक-5 में अधिसूचित हैं।</p> <p>ख.) मिसब्रांडे, गैर-अनुशंसित या प्रतिबंधित एग्रोकेमिकल्स या किसी अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।</p> <p>ग.) अवशेषों के परीक्षण के लिए सैम्पल के ड्राइव के बाद, किसी भी एग्रोकेमिकल्स का छिड़काव / उपयोग न किया जाए।</p> <p>घ.) किसी भी अपंजीकृत फार्म से अंगूर का निर्यात या सैम्पलिंग न की जाए।</p> <p>ड.) पंजीकरण रिकॉर्ड या पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण में कोई संशोधन हो तो करें।</p>
	3.15	सभी किसान संबंधित राज्य बागवानी / कृषि विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निर्धारित रजिस्टर में अपने द्वारा पालन किए गए अभ्यासों के पैकेज का रिकॉर्ड रखें। इसमें कीटनाशक, कवकनाशी, खरपतवारनाशक और पादप वृद्धि नियामक और अन्य रसायनों सांस्कृतिक प्रथाओं, उर्वरक के उपयोग, खुराक और उपयोग की तारीख की जानकारी शामिल हो सकती है। यह अनिवार्य है। कृपया अनुच्छेद 3.3 और 3.4 देखें।

		3.16	प्रत्येक किसान फसल के समय, <b>संलग्नक -3</b> में निर्यातक को यह कहते हुए घोषणा करेगा कि प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूनों के खींचने के बाद कीटनाशक, कीटनाशक, कवकनाशक, खरपतवारनाशक आदि का छिड़काव नहीं किया गया है। घोषणाएँ में यह भी उल्लिखित होगा कि कृषि / बागवानी कार्यालय द्वारा पंजीकृत खेत के नीचे कोई प्लॉट नहीं है और घोषणा में उल्लिखित भूखंडों में से कोई भी निलंबन के अधीन नहीं है / निर्यात के लिए रद्द कर दिया गया है। यह घोषणा उपज की कटाई के समय निर्यातक को सौंप दी जाएगी।
		3.17	अंगूर के उत्पादन और यूरोपीय संघ के नियमों के अनुपालन के लिए रसायनों और सांस्कृतिक प्रथाओं के आवेदन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित किसान / निर्माता / निर्यातक की होगी। कृषक / उत्पादक / निर्यातक एपीडा और एनआरसी अंगूर को स्प्रे और खेती के तरीकों से किसी भी विचलन के बारे में सूचित करेंगे, जैसा कि अंगूर उत्पादक के हस्ताक्षर के साथ फसल निर्यातक के यूरोपीय संघ के एमआरएल के अनुपालन के लिए एनआरसी अंगूर द्वारा अनुशंसित है।
		3.18	निर्यातक एग्मार्क निरीक्षण के समय प्रयोगशाला प्रतिनिधि को अनुबंध -3 प्रदान करेगा।
		3.19	अंगूरों का निर्यात केवल तभी होगा जब इन्हें संसाधित किया जाएगा और एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त पैकहाउसों में पैक किया जाएगा।
4	जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारियों के लिए प्रक्रिया	4.1	प्रत्येक कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा अंगूर की हार्वेस्टिंग से पूर्व फार्म / प्लॉट का निरीक्षण करने के लिए कम से कम दो बार फार्म / प्लॉट का दौरा किया जाएगा। पहला निरीक्षण फार्म / प्लॉट पंजीकरण के समय और दूसरा निरीक्षण सैम्पल लेने के समय किया जाए। यदि संभावित या भारी कीट / बीमारी की घटनाओं की स्थिति बनती है तो ऐसे क्षेत्रों में कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा उपयुक्त समय पर अतिरिक्त निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक कृषि / बागवानी अधिकारी <b>संलग्नक - 4 (क)</b> और <b>4 (ख)</b> में दी गई निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करने के बाद किसान को एक प्रति देगा। सैंपलिंग के समय सभी संबंधितों द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण और

			हस्ताक्षरित संलग्नक - 4 (ख) की एक प्रति प्रयोगशाला के प्रतिनिधि को दी जाए।
		4.2	ग्रेपनेट में सूचना प्रवाह के हित में, संलग्नक-4 (ख) को अंगूरनेट के माध्यम से कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा भरा जाना आवश्यक है, अन्यथा किसान और निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर आगे नहीं बढ़ पाएगा और प्रयोगशाला विश्लेषण नहीं हो पाएगा।
		4.3	फसल के पकने / परिपक्व होने से पहले (कृपया अनुच्छेद 3.12 देखें) प्लॉट के देर से पंजीकृत होने की स्थिति में पहले निरीक्षण के दौरान कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा ब्लॉक-इन एरिया दिशाओं और / या लोकेशन (जैसे सड़क, कुएं के पास) में प्लॉटों के ऐसे क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा। इसे संलग्नक-4 (क) और संलग्नक-3 (और इसके अनुलग्नक) में सूचित किया जाए। {कृपया अनुच्छेद 3.5 और 3.6 देखें}
		4.4	कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा पूरे फार्म का पंजीकरण रिकॉर्ड भी सत्यापित किया जाए और यदि वह सही और पूरी हो तो उसकी भौतिक जांच की जाए।
		4.5	प्रत्येक आवेदन (संलग्नक4-क से 4ख) पर किसान और कृषि/बागवानी अधिकारी अपना हस्ताक्षर करे और अपना पूरा आधिकारिक पता लिखे। यह अनिवार्य है।
		4.6	महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा एपीडा वेबसाइट पर वेब-आधारित डेटा-बेस में निर्दिष्ट प्रारूप में प्लॉट पंजीकरण डेटा बनाया रखा जाए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्रिंट को वेबसाइट ( <a href="http://apeda.gov.in">apeda.gov.in</a> ) पर रखे गए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर ग्रेपनेट के माध्यम से लिया जाएगा।
		4.7	यदि किसान फार्म 4(क) में दिए गए अधिकारी के परामर्श को नहीं मानते हैं या अन्यथा संतुष्ट हैं कि अतिरिक्त कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति की संभावना है तो कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा फार्म 4(ख) के कॉलम 15 में प्रयोगशालाओं द्वारा सैम्पलों के ड्राव्ल्स को अनुशंसा नहीं दी जाएगी। सैम्पलों के ड्राव्ल की अनुशंसा न करने के कारणों

			को कॉलम 16 में स्पष्ट रूप से बताना होगा।
		4.8	सैम्प्ल के ड्राव्ल की अनुमति देने की अनुशंसा निरीक्षण अधिकारी (कृषि/ बागवानी अधिकारी) द्वारा केवल ग्रेपनेट के माध्यम से की जाएगी।
		4.9	यदि किसान फार्म - 4(ख) में कॉलम 15 और 16 में कृषि/बागवानी अधिकारी के निरीक्षण से संतुष्ट नहीं हैं तो वह चाहे तो राज्य सरकार के संबंधित विभाग में उच्च प्राधिकरण से अपील कर सकता है।
		4.10	अंगूर के मौसम के अंत में कृषि / बागवानी अधिकारियों के पास राज्य सरकार को एन.आर.एल द्वारा प्रस्तुत समेकित परीक्षण रिपोर्ट और प्रयोगशालाओं द्वारा ई-मेल की प्रतियां भी की जांच करने की जिम्मेदारी होगी। वे किसानों को सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव भी देंगे (कृपया अनुच्छेद 8.7 देखें)।
		4.11	कृषि / बागवानी अधिकारियों द्वारा अंगूर के गुणवत्ता उत्पादन पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियमित रूप से किसानों और नियांतकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं।
		4.12	कृषि / बागवानी अधिकारियों द्वारा संलग्नक-5 में दिए गए अंगूर के लिए केवल पंजीकृत / अनुशंसित एग्रोकेमिकल्स के उपयोग की अनुमति देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
		4.13	पंजीकरण प्राधिकरण / पीएससी जारी करने वाला प्राधिकारी संबंधित सरकारी संस्थानों द्वारा किए गए चेक के आधार पर एनआरएल को रसायनों और मिलावटी / कम ग्रेड / नकली रसायनों / कार्बनिक योगों के सक्रिय तत्वों की जानकारी प्रदान करेगा।
		4.14	कृषि / बागवानी अधिकारियों द्वारा संबंधित सरकारी संस्थानों द्वारा परीक्षण किए गए उत्पादों के आधार पर बाजार में उपलब्ध कीटनाशक उत्पादों की सक्रिय सामग्री के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
		4.15	जब तक एन.आर.एल द्वारा चेतावनी नोटिस को निरस्त नहीं

			किया जाता तब तक के लिए अंगूर फॉर्म (कृपया अनुच्छेद 8.16 देखें) के खेत के संबंध में एन.आर.एल द्वारा जारी अलर्ट सूचना की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उस खेत / प्लॉट से अंगूर के निर्यात को निलंबित कर दिया जाएगा।
		4.16	राज्य सरकारें इन प्रक्रियाओं के 5.7 और पैरा 6.13 के संबंध में एनआरएल के साथ परामर्श करके उचित कार्रवाई करेंगी।
		4.17	राज्य सरकारें एनआरएल और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ प्रथाओं के पैकेज के विकास और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज (जीएपी) के कार्यान्वयन के साथ-साथ संबंधित राज्य एक्सटेंशन के माध्यम से प्रथाओं के पैकेज के संबंध में उचित कार्रवाई करेंगी।
5	अंगूर फार्म / प्लॉटों से सम्पर्लिंग की प्रक्रिया	5.1	किसान / निर्यातकों द्वारा सैम्पल लेने के लिए अग्रिम में प्रयोगशालाओं को एक अनुसूची प्रदान की जाए जिससे वे ग्रेपनेट में और संलग्नक -4 (ख) अपनी सैम्पलिंग व्यवस्था की योजना बना सकें।
		5.2	निर्यात के लिए नियत अंगूरों के सैम्पलों को इस प्रक्रिया के संलग्नक-6 में नामित प्रयोगशालाओं और सूचीबद्ध एन.आर.एल जैसे एनआरसी, पूणे द्वारा परीक्षण करने के लिए निकाला जाएगा।
		5.3	इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए सैम्पलों को अधिकृत प्रयोगशाला के प्रतिनिधि द्वारा निकाला जाएगा। सैम्पलिंग के समय किसान द्वारा प्रतिनिधि को संलग्नक 2 की एक प्रतिलिपि उपलब्ध की जाएगी।
		5.4	सैम्पलों को निकालने के बाद, प्रयोगशाला अधिकारी द्वारा सैम्पलों के निकाले जाने की मात्रा को रिकॉर्ड किया जाएगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के पीछे अपना हस्ताक्षर और तिथि लिखनी होगी।
		5.5	प्रयोगशालाओं को यह परामर्श दिया जाता है कि वे सैम्पलों को निकालने के तुरंत बाद एपीडा वेबसाइट पर वेब-आधारित सॉफ्टवेयर में पंजीकृत प्लॉटों से लिए गए सैम्पलों का विवरण दर्ज करें। प्लॉट पंजीकरण संख्या/संख्याएं सभी

			उद्देश्यों के लिए प्रमुख संख्याएं होंगी।
	5.6		अंगूर, मिट्टी और जल के सैम्पत्तों को संलग्नक -7 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर किसान और निर्यातक की उपस्थिति में निकाला जाएगा।
	5.7		प्रत्येक सैम्पल को संबंधित प्लॉट / प्लॉटों/ फार्म से लिया जाएगा जिसे दो नालीदार डिब्बों में अलग-अलग पैक किया जाएगा [पहला सैम्पल प्रयोगशाला सैम्पल होगा और दूसरा प्रतिकूल सैम्पल होगा (जिसे विवाद के मामले में एन.आर.एल द्वारा परीक्षण के लिए बनाए रखा जाएगा)]। संलग्नक - 8 में दिए गए प्रारूप के आधार पर कार्टून (डिब्बे) को मोहरबंद और हस्ताक्षरित कर उन्हें सैम्पल स्लिप के साथ 24 घंटे के अंदर अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला में सौंप/ हस्तांतरित कर दिया जाए। सैम्पल स्लिप पर किसान निर्यातक और प्रयोगशाला के उस प्रतिनिधि का हस्ताक्षर किया जाए जिसने सैम्पल लिए हैं। इस संलग्नक में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के समय प्रतिनिधि द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संलग्नक-2 की एक प्रति प्राप्त की गई है। प्रयोगशाला द्वारा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों को तब तक आगे नहीं प्रवृत्त किया जा सकता है जब तक या दस्तावेज़ निर्धारित रूप से प्राप्त, सत्यापित या सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट न किए गए हों।
	5.8		यह सुझाव दिया जाता है कि प्रयोगशाला प्लॉट पर रसायनों के उपयोग की बेहतर समझ के लिए संलग्नक -4, के अंतर्गत दोनों आवेदनों अर्थात् संलग्नक - 4 (क) और 4 (ख) की जाँच की जाए। प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा संलग्नक- 4 (क) और 4 (ख) के आधार पर दी गई सैम्पल स्लिप पर किसान और उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का भी सत्यापन किया जाएगा।
	5.9		प्रयोगशालाओं द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में सैम्पल न लिए जाएं:
			क.) यदि प्लॉट वास्तव में जिला कृषि / बागवानी कार्यालय के साथ पंजीकृत नहीं हैं या प्लॉट निलंबन के अधीन हैं / प्लॉट यूरोपीय संघ से निर्यात के लिए रद्द कर दिया गया है।

		<p>ख.) यदि प्लॉटों की पंजीकरण संख्या उपर्युक्त अनुच्छेद 3.7 में दिए गए कोडिंग प्रारूप में नहीं है।</p> <p>ग.) यदि किसान / निर्यातक निकटवर्ती प्लॉटों (कृपया ऊपर अनुच्छेद 3.5 और 3.6 देखें) के लेआउट के स्केच / ड्राइंग के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करने में विफल रहता है।</p> <p>घ.) प्लॉट / प्लॉटों / खेत के क्षेत्रफल की गणना और संलग्नक -2 (क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए) और 4 (ख) में बताए गए संभावित उत्पादन की गणना में किसी भी असंगति (10% भिन्नता) की स्थिति में,</p> <p>ङ.) जब तक इस संबंध में संलग्नक -4 (बी) के खण्ड 15 में कृषि / बागवानी अधिकारियों द्वारा स्पष्ट अनुशंसा नहीं दी जाती है।</p> <p>च.) यदि संलग्नक-3 और 4(क) एवं 4(ख) पर दिए गए हस्ताक्षर से सैम्पल स्लिप पर किसान या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया हस्ताक्षर मेल नहीं खाता हो।</p> <p>छ.) जब तक प्रयोगशाला प्रतिनिधि यह सत्यापित न करे कि सैम्पल को वैध पंजीकृत प्लॉट/प्लॉटों/फार्म से लिया गया है।</p> <p>ज.) जब तक प्रासंगिक गणना संलग्नक -7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार न की गई हो और</p> <p>झ.) जब तक सैम्पल के साथ संलग्न सैम्पल स्लिप को विधिवत रूप से न भरा गया हो।</p>												
	5.10	<p>फार्म से प्रयोगशालाओं में सैम्पलों की आवाजाही के लिए, निम्नलिखित प्रारूप में निगरानी की श्रृंखला दिखाने वाला एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, और यह रिकॉर्ड भी सैम्पल और दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ेगा</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">व्यक्ति</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">नाम</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">तिथि</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">हस्ताक्षर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">सैम्पलर</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">कोरियर-1</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>	व्यक्ति	नाम	तिथि	हस्ताक्षर	सैम्पलर				कोरियर-1			
व्यक्ति	नाम	तिथि	हस्ताक्षर											
सैम्पलर														
कोरियर-1														

			<table border="1"> <tr> <td>कोरियर-2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>प्रयोगशाला</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	कोरियर-2				प्रयोगशाला			
कोरियर-2											
प्रयोगशाला											
		5.11	सैम्पल को निकालने वाले प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा सैम्पल स्लिप संख्या के साथ सैम्पल को चिह्नित किया जाएगा जिससे सैम्पल के साथ सैम्पल स्लिप को सहसंबंधित जा सके।								
		5.12	प्रयोगशाला में पहुंचने पर प्रत्येक सैम्पल को प्रयोगशाला के बाद की प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कोड संख्या का संकेत देकर क्रमांकित किया जाएगा।								
6	प्रत्यायन/ मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं और अधिकृत प्रयोगशालाओं के उत्तरदायित्व	6.1	अधिकृत प्रयोगशालाओं को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए आई.एस.ओ / आई.ई.सी-17025 के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल) से मान्यता प्राप्त होगी।								
		6.2	अधिकृत प्रयोगशालाओं के पास प्रयोगशाला मान्यता के लिए अपनी योजनाओं के अंतर्गत वैध एपीडा मान्यता होना आवश्यक है।								
		6.3	अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा अनुबंध -7 में दी गई सैम्पल विधि के अनुसार सैम्पलिंग की जागी और संबंधित किसान / निर्यातक के अनुरोध पर, रसायनों के अवशिष्ट स्तरों के लिए अंगूर का परीक्षण किया जाएगा, जिसकी अनुशंसित सूची संलग्नक-9 में दी गई है। संलग्नक-9 में भारत या यूरोपीय संघ में प्रतिबंधित रसायनों की सूची भी दी गई है।								
		6.4	प्रतिबंधित रसायनों के लिए पिछले सीज़न के निष्कर्षों के आधार पर, एन.आर.एल द्वारा निर्धारित कृषि क्षेत्रों से मिट्टी और पानी का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट में पता लगाने की सीमा और परिणामों को दर्शाया जाए। प्रयोगशालाओं द्वारा रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार / किसान / निर्यातक / पंजीकरण प्राधिकरण और एन.आर.एल को प्रदान की जाएगी।								
		6.5	यह सुनिश्चित करने के बाद कि अनुच्छेद 5.7 से 5.9 का अनुपालन किया गया है, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा संलग्नक-7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अंगूर, मिट्टी और								

			जल के सैम्पल लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित किया जाएगा।
		6.6	अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र को प्रयोगशाला के प्रतिनिधि के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ केवल अंगूरनेट के माध्यम से संलग्नक-10 में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किया जाएगा। अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र सैम्पल के ड्राफ्ट के छः दिनों के भीतर जारी किया जाए। इसमें सैंपलिंग का दिन भी शामिल है। अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा पता लगाए गए कृषि रसायनों के अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा हालांकि निगरानी के अंतर्गत सभी एग्रोकेमिकल्स को अंगूरनेट में अपलोड करें।
		6.7	प्रयोगशाला द्वारा केवल अनुबंध- 2 (क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए) और अनुबंध -4 (ख) के आधार पर संलग्नक -10 में घोषित फॉर्म / प्लॉटों [क्र.सं. 5] और फॉर्म / प्लॉटों [क्र.सं. 6] के कुल संभावित उत्पादन के क्षेत्र की गणना की जाएगी। दस्तावेज़ों में 10% भिन्नता से अधिक असंगतता देखे जाने की स्थिति में तुरंत एन.आर.एल/राज्य सरकार [कृपया अनुच्छेद 5.9 (घ) और 8.13 देखें] को रिपोर्ट करें।
		6.8	निर्यातक / किसान द्वारा घोषित कंसांटमेंट के गंतव्य के संबंध में परीक्षण के परिणाम एम.आर.एल से अधिक हैं तो तुरंत (24 घंटे के भीतर) ही एन.आर.एल, बागवानी अधिकारी (जिसका पता संलग्नक - 2 में दिया गया है) और एपीडा को प्लॉटों और एग्रोकेमिकल्स के स्तर से अधिक का विवरण देने वाली रिपोर्ट की एक प्रति के साथ मामले के बारे में सूचित किया जाए। विफल सैम्पलों की स्थिति में प्रयोगशाला द्वारा स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा एन.आर.एल को क्रोमैटोग्राम आदि भी भेजा जाए।
		6.9	यदि अंगूर सैम्पल विफल हो जाते हैं और एन.आर.एल द्वारा एक आंतरिक अलर्ट जारी किया जाता है तो किसान/ निर्यातक बाद की तारीख (संलग्नक-8 देखें) में पुनः सैम्पलिंग को चुन सकता है। इस प्रकार की स्थिति में, यदि दूसरा सैम्पल परीक्षण में सफल हो जाता है तो आंतरिक अलर्ट सूचना को रद्द करने हेतु उन्हें सक्षम करने के लिए एन.आर.एल अंतरंग करें, जो उस तिथि (अनुच्छेद 8.17 देखें)

			से प्रभावी होगा।
	6.10		अधिकृत प्रयोगशालाओं के निरीक्षण को एन.आर.एल / पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रयोगशाला (अनुच्छेद 9.4 देखें) को पूर्व सूचना के बिना किया जा सकता है।
	6.11		अधिकृत प्रयोगशालाएँ, एन.आर.एल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण / इंटरलेबोरेटरी प्रवीणता परीक्षण में भाग लेंगी। प्रयोगशालाएं अपनी क्षमता और तत्परता के बारे में अंगूर की सैम्पलिंग और विश्लेषण शुरू करने से पहले एपीडा और एन.आर.एल को लिखित रूप में सूचित करेंगी।
	6.12		अधिकृत प्रयोगशालाएं निर्यात के लिए अंगूर की सैम्पलिंग, विश्लेषण और ग्रेडिंग के संबंध में कोई अतिरिक्त वर्णन / अस्वीकृति नहीं जोड़ेंगी।
	6.13		यदि अधिकृत प्रयोगशाला अवलोकन करती या विश्लेषण की प्रणाली के समय यह देखती है कि संलग्नक -9 में सूचीबद्ध रसायन की उपस्थिति की संभावना नहीं है तो यह यदि संभव हो तो परीक्षण रिपोर्ट की प्रति के साथ तुरंत (24 घंटे के भीतर) एन.आर.एल/ राज्य सरकार / निरीक्षण प्राधिकरण और बागवानी / कृषि अधिकारी के संजान में लाया जाएगा।
7	एग्मार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) और साइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र (पी.एस.सी) जारी करने की प्रक्रिया	7.1	अनुज्ञित प्रमाण-पत्र और एग्मार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) के अनुदान हेतु पूरी प्रक्रिया संलग्नक-11 में दी गई है। सी.ए.जी केवल ग्रेपनेट के माध्यम से प्रयोगशालाओं से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जारी किया जाएगा। निर्यातकों के द्वारा परिशिष्ट-(i) से संलग्नक-11 में दिए गए रसायनों, उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।
		7.2	किसान/ निर्यातक राज्य पी.एस.सी प्राधिकरण से संगरोध विनियम (आई.पी.पी.सी 1951) के अंतर्गत अधिसूचित भारत सरकार से पादप संरक्षण परामर्शदाता द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने या भारत सरकार की नामित प्रयोगशालाओं से यदि फ्यूमिगेशन प्रमाण-पत्र है तो उसकी स्कैन की गई प्रतिलिपि और कंटेनर लोडिंग शीट/पैकिंग सूची/ परफार्मा इनवाइस/

		<p>एल.सी की एक प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्नक-12 में दी गई निर्यातक/ शिपर की घोषणा के साथ फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र को जारी करने का अनुरोध करें। प्रयोगशाला द्वारा निरीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा:</p> <p>क.) एपीडा द्वारा जारी पैकहाउस मान्यता प्रमाण-पत्र।</p> <p>ख.) डी.एम.आई द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण-पत्र।</p> <p>ग.) एन.एस.पी.एम-12 के आधार पर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एम.बी.आर फ्यूमिगेटर के द्वारा जारी लकड़ी की पैकिंग सामग्री के लिए फ्यूमिगेशन प्रमाण-पत्र।</p> <p>घ.) डी.एम.आई द्वारा जारी एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र।</p> <p>ड.) गुणवत्ता, संगरोध मुद्रों और कीट और रोगों के बारे में अतिरिक्त घोषणा के लिए संलग्नक / एल.सी की प्रतिलिपि आयात करने वाले देश के संगरोध नियमों को पूरा करने के लिए फाइटो-सैनिटरी प्रमाण-पत्र में दी जाए।</p>
	7.3	संलग्नक-12 की सामग्री की सत्यता साबित करने दायित्व निर्यातक / शिपर के पास है।
	7.4	<p>निम्नलिखित शर्तों के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही पी.एस.सी प्राधिकरण द्वारा पी.एस.सी जारी किया जाएगा:</p> <p>(क) एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त पैक-हाउस में उत्पादन का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात्,</p> <p>(ख) पीएससी जारी करने के लिए अनुरोध द्वारा कवर की गई उपज की मात्रा की गणना संलग्नक - 2 (क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए) और संलग्नक 4 (ख) के आधार पर की जाती है।</p> <p>(ग) कंसाइनमेंट स्टोर करने वाले कोल्ड स्टोर से जुड़े डेटा लॉगर उपकरण को कोल्ड स्टोर में 0-1 ° C तापमान में बनाए रखा गया हो।</p>
	7.5	पैकहाउस पर याद्वच्छिक आधार पर पी.एस.सी जारी करने वाले अधिकारी कंसाइन्टमेंट में से एक प्रतिनिधि सैम्पल लेंगी जिसे ठीक से सील / चिह्नित किया जाए और भंडारण के

			लिए निर्यातक / पैक हाउस को सौंप दिया जाए(कृपया अनुच्छेद 5.12 देखें)।
		7.6	पी.एस.सी अधिकारी द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट संख्या के साथ लिए गए प्रतिनिधि सैम्प्ल को चिह्नित किया जाए।
		7.7	शीट (पैकिंग सूची) को लोड करने वाले कंटेनर में किसान का नाम, किसान का कोड, पैकेट प्रति मात्रा, कुल मात्रा आदि दिए गए हों।
		7.8	निर्यातक / मान्यता प्राप्त परीक्षण अनुलग्नक -7 में रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों के अनुसार पैकहाउस और प्रयोगशालाएं निर्यात किए गए अंगूर के प्रतिनिधि नमूने (पैरा 7.5 देखें) को अपने शीत भंडारण तापमान 0-1 °C और रिहायशी आर्द्रता की 60 दिनों की अवधि से 60 दिनों की अवधि के लिए बनाए रखेंगे।
		7.9	एग्मार्क और फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा आयातक देशों की ग्रेडिंग और संगरोध आवश्यकताओं के संबंध में किसानों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
8.1	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र (एन.आर.सी.जी) पर राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एन.आर.एल) के उत्तरदायित्व	8.1	एन.आर.एल द्वारा प्रत्येक वर्ष खेती के मौसम की शुरुआत से पहले संलग्नक-5 में दिए गए अंगूर की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की अनुशंसित सूची तैयार की जाएगी।
		8.2	एन.आर.एल द्वारा एपीडा और राज्य सरकारों को विभिन्न रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित रसायनों की अद्यतन सूची और रसायनों एवं किसी भी अन्य दूषित पदार्थों की एक गतिशील सूची के लिए प्रस्तुत की जाएगी जिसे जून के अंत तक उसके एम.आर.एल के साथ अंगूर के लिए विश्लेषण किया जाएगा और उसे निर्यातकों और किसानों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।
		8.3	एन.आर.एल द्वारा सैम्प्लिंग और विश्लेषण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं हेतु सैम्प्लिंग और विश्लेषण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट और सत्यापित किया जाएगा। एन.आर.एल द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए

			अंगूर की सैम्पालिंग, विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं के प्राधिकरण के लिए एपीडा को अनुशंसा की जाएगी।
		8.4	एन.आर.एल द्वारा अंगूर के निर्यात के लिए प्रतिबंधित रसायनों की सूची सहित रसायनों के एम.आर.एल की यूरोपीय संघ की सूची के साथ-साथ अंगूर की खेती के लिए निर्देश के आधार पर अंगूर निर्यात सीजन के शुरू होने से पहले परीक्षण के उद्देश्य के लिए रसायनों की सूची और उनके एम.आर.एल को निर्धारित किया जाएगा। उनके एम.आर.एल के लिए परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की इस सूची को नियमित रूप से संशोधित किया जाएगा।
		8.5	यह जानने के लिए कि क्या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं मानदण्डों का पालन कर रहीं हैं, एन.आर.एल द्वारा निगरानी लेखा-परीक्षण के माध्यम से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के कार्य को मॉनिटर किया जाएगा।
		8.6	एन.आर.एल द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं के अवशेष विश्लेषण आंकड़े संकलित किए जाएंगे। आंकड़ों के आधार पर एन.आर.एल द्वारा अगले वर्ष के लिए कार्य योजना भी तैयार की जाएगी।
		8.7	एन.आर.एल द्वारा अनुरूपता के उपाय के रूप में नामित प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए बैच से संबंधित मान्यता प्राप्त पैकहाउस से सीधे 5% सैम्पल निकाल लिए जाएंगे। एन.आर.एल द्वारा इन सैम्पलों का विश्लेषण किया जाएगा और समेकित रिपोर्ट में रिपोर्ट को एकीकृत किया जाएगा।
		8.8	एन.आर.एल द्वारा अनुरूपता के उपाय के रूप में नामित प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए बैच से संबंधित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालों द्वारा विश्लेषण किए गए सैम्पलों के 5% परीक्षण आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाएगा।
		8.9	जहां निर्यातक / किसान द्वारा घोषित किए गए कंसाइन्टमेंट के गंतव्य के आधार पर अवशिष्ट स्तर अनुमत स्तरों से अधिक पाया जाता है वहां एन.आर.एल द्वारा निर्यातकों / किसानों को नियंत्रण उपायों के बारे में परामर्श दिया जाएगा।

		8.10	एन.आर.एल द्वारा उन खेतों से विश्लेषण किए गए नमूनों के अधिकृत प्रयोगशालाओं से एन.आर.एल द्वारा प्राप्त की जाने वाली मिट्टी और पानी परीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा जहां पिछले सीजन में प्रतिबंधित रसायन का पता लगाया गया था और साथ ही परीक्षण रिपोर्ट में शामिल जानकारी के आधार पर वर्तमान मौसम में तेजी से और उपयुक्त रूप से संबंधित किसान/निर्यातक और पंजीकरण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) को परामर्श दिया जाएगा।
		8.11	एन.आर.एल द्वारा अंगूर के पौध संरक्षण और खेती के लिए एन.आर.एल द्वारा अनुशंसा किए रसायनों के स्तरों से अधिक होने के संबंध में किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों, एपीडा, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के तुरंत ही सूचित किया जाए।
		8.12	एन.आर.एल द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्येक अवशिष्ट या अवशेषों के सम्हूँ के परीक्षण पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।
		8.13	एन.आर.एल द्वारा अंगूर के मौसम के दौरान दो बार अंतर-प्रयोगशाला / प्रकीणता परीक्षण का आयोजन और प्रयोगशालाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा।
		8.14	एन.आर.एल द्वारा नियमित रूप से हितधारकों की इंटरैक्टिव बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में भागीदारी के लिए किसानों, निर्यातकों, सी.आई.बी और आर.सी, कृषि / बागवानी अधिकारियों, पी.एस.सी जारी करने वाले अधिकारियों, एगमार्क अधिकारियों, आई.सी.ए.आर, किसी भी अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे कृषि रासायनिक उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं एवं एपीडा को शामिल किया जाएगा।
		8.15	एन.आर.एल द्वारा रसायनों की सूची को उनके एम.आर.एल के साथ एवं सैम्प्लिंग और विश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में स्वयं, एपीडा, राज्य सरकारों, किसानों और उत्पादकों, निर्यातकों और मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं को अद्यतन किया जाएगा।

	8.16		एक असफल सैम्पल के बारे में एक अधिकृत प्रयोगशाला से अलर्ट सूचना मिलने पर बिना किसी विलंब और किसी भी मामले में 24 घंटे के भीतर जब तक एन.आर.एल किसी भी जांच को करना आवश्यक नहीं मानता, समय-समय पर संशोधित इस दस्तावेज में निर्धारित सीमा से अधिक अवशिष्टों या प्रमुख तत्वों का पता लगाने के मामले में किसान को सूचना के अंतर्गत राज्य सरकार, निर्यातकों, पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरणों, प्रयोगशालाओं और एपीडा को एक आंतरिक अलर्ट सूचना जारी की जाए। आंतरिक अलर्ट सूचना का एक प्रारूप संलग्नक-13 में दिया गया है।
	8.17		यदि अंगूर प्लॉट/प्लॉटों/फार्म के एक जैसे अभ्यास पैकेज हैं और जहां किसान एक ही पैकेज के पालन का उत्तरदायित्व लेता है वहां निर्यात के लिए निर्धारित कंसाइन्टमेंट से केवल एक यादचिक सैम्पल निकाला जाए जिसे अच्छी तरह से सील/चिन्हित किया जाए और उसे स्टोरेज के लिए निर्यातक/पैकहाउस को सौंपा जाए। यदि अंगूर प्लॉट/प्लॉटों/फार्म सैम्पल के पुनःपरीक्षण में एम.आर.एल (अनुच्छेद 6.9 देखें) परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो बिना किसी विलम्ब के एन.आर. एल द्वारा आंतरिक अलर्ट सूचना वापिस ली जाए जो उस तिथि से प्रभावी होगी। इस संबंध में, एन.आर.एल द्वारा सभी संबंधित को प्लॉट की नई स्थिति के बारे में सूचना दी जाएगी।
	8.18		उपर्युक्त अनुच्छेद 6.7 के संबंध में किसी प्रयोगशाला से प्राप्त विसंगति की किसी भी रिपोर्ट की स्थिति में एन.आर.एल द्वारा तत्काल ही राज्य सरकार (कृषि/बागवानी कार्यालयों) के साथ परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सुधार के लिए कार्यवाई की जाए।
9	राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला की शक्तियां	9.1	एन.आर.एल के पास पंजीकृत अंगूर फार्मों, पैकहाउस और प्रयोगशालाओं से सैम्पल निकालने का अधिकार हो।
		9.2	एन.आर.एल के पास निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा लिए गए और / या परीक्षण किए गए सैम्पलों के अनुरूप विश्लेषण

			आंकड़ों को सत्यापित करने का अधिकार हो।
		9.3	एन.आर.एल के पास अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा अंगूर के सैम्पत्ति और विश्लेषण की विधि का अनुपालन न करने की स्थिति में एपीडा और / या एन.ए.बी.एल को उन प्रयोगशालाओं की मान्यता रद्द करने अनुशंसा करने का अधिकार है।
		9.4	एन.आर.एल के पास बिना पूर्व सूचना के अधिकृत प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करने का अधिकार है(अनुच्छेद 6.10 देखें)।
10	किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों के उत्तरदायित्व	10.1	अंगूर के किसान / उत्पादक / निर्यातक और अन्य हितधारकों द्वारा आयातक देशों के विनियमों के आधार पर रसायनों के एम.आर.एल का अनुपालन किया जाए। अंगूर पर विनियमों के साथ अनुपालन जैसे कि अर के ग्रेड, अंगूर गुणवत्ता, सुरक्षा और पूर्णता, कटाई के पूर्व और बाद के अभ्यास, पौधे और इसकी संगरोध, पैकिंग, फ्यूमिगेशन, लकड़ी के फूस के लिए प्रमाणन, स्वच्छता और फाइटोसेनिटरी उपाय, कोई भी अन्य आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व टेबल अंगूरों के निर्यात हेतु किसान, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों का होगा।
		10.2	किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों को केवल उन रसायनों को उपयोग करने की बाध्यता है जो एन.आर.सी अंगूर (संलग्नक-5) द्वारा अनुशंसित हैं। अंगूर के उत्पादन के लिए बनावटी एवं दूषित रसायनों और अन्य किसी कृषि इनपुट के उपयोग का प्रभाव किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों के एकमात्र जोखिम और लागत पर होगा।
		10.3	किसानों/ उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण/कृषि/बागवानी अधिकारी को अच्छे कृषि अभ्यासों (जी.ए.पी) गुणवत्ता/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुपालन और/या संबंधित एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले प्रमाणीकरण और निरीक्षण सहित इन प्रणालियों के आधार पर अंगूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए प्रमाणीकरण और निरीक्षण प्रणालियों के किसी अन्य अनुपालन की सूचना दी जाएगी।

	10.4	अंगूर के किसानों/ उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा एन.आर.सी अंगूर को अंगूर के निर्यात के लिए परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की सूची उपलब्ध की जाए। किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और हितधारकों द्वारा उपलब्ध की गई प्रतिपुष्टि के आधार पर एन.आर.एल द्वारा एपीडा के साथ परामर्श में अन्य रसायनों के परीक्षण के लिए अनुशंसा की जाएगी।	
	10.5	पिछले सीजन में प्रतिबंधित/ निषिद्ध रसायनों वाले पंजीकृत फार्मों से मिट्टी और पानी के सैम्पलों को अधिकृत प्रयोगशालाओं और एन.आर.एल द्वारा निकाला और परीक्षण किया जाए।	
	10.6	जब परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की अनुशंसित सूची संलग्नक-9 में दी गई हो तो किसान/निर्यातक का उत्तरदायित्व यह जांच करना होगा कि क्या प्राधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा वह फार्म जहां से निर्यातक संलग्नक -2 में किसान द्वारा रखे गए स्प्रे रिकॉर्ड के आधार पर उत्पादन का स्रोत बना रहा है और निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित है उसके संबंध में किसी भी अतिरिक्त रसायन का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।	
	10.7	किसानों/ उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितधारकों का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने व्यापार आसूचना जानकारी के माध्यम से अंगूर के निर्यात के लिए परीक्षण और मॉनिटर किए जाने वाले रसायनों और अन्य संदूषकों सूची को अद्यतन और सूचित करें।	
	10.8	किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा आयात देश के नियमों के किसी भी गैर-अनुपालन की स्थिति में किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ नुकसान की देयता बनी रहेगी।	
	10.9	किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों और अन्य हितधारकों को बाजार में आगमन पर अंगूर का सही माप सुनिश्चित करना होगा जब तक कि खुदरा बाजार के अलमारियों से उपभोक्ताओं द्वारा अंगूर नहीं उठाया जाता है।	

11	समग्र निगरानी और एपीडा के उत्तरदायित्व	11.1	एपीडा द्वारा एपीडा अधिनियम में परिकल्पित यूरोपीय संघ को अंगूर के निर्यात प्रोत्साहन की सुविधा दी जाएगी।
		11.2	एपीडा द्वारा भारत सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त पैकहाउसों के साथ-साथ सूचित की गई प्राधिकृत प्रयोगशालाओं/पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरणों का नाम, पता आयातक देशों की सरकारों एवं यूरोपीय देशों को सूचित किया जाएगा। साथ ही एपीडा द्वारा कृषि मंत्रालय से प्राप्त किए गए आयातक देशों के संगरेध संबंधी मुद्रों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
		11.3	एपीडा द्वारा एन.आर.एल के माध्यम से रसायन अवशिष्ट विश्लेषण हेतु इसकी परीक्षण क्षमता के आधार पर इन दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिकृत प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग की जाएगी।
		11.4	एपीडा अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक परीक्षण परिणामों का मूल्यांकन करेगा और इसके लिए आवश्यक होगा कि एन.आर.एल द्वारा सुझाए गए नियंत्रण उपायों को राज्य सरकार या प्रयोगशाला द्वारा लागू किया जाए।
		11.5	जहाँ आवश्यक हो, वहां एपीडा द्वारा राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला के नेतृत्व में निर्यातकों / संघ, नामित प्रयोगशालाओं और एपीडा के प्रतिनिधियों की एक समिति को नामित किया जाएगा। परीक्षण के रूप में, समिति, निर्यातकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी। छोटे और बड़े दोनों पैकहाउसों को कवर करने वाले 5% का सैम्पल आकार इस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा। यादचिक आधार पर ली गई अंगूर की 5% मात्रा के पूरे रिकॉर्ड को निर्यातक द्वारा निर्यात सीजन के अंत में जाँच किया जाएगा।
		11.6	एपीडा द्वारा एन.आर.एल द्वारा किए गए कार्यों का आकलन किया जाएगा, जिसमें इस दस्तावेज में दिए गए उत्तरदायित्वों के संबंध में संशोधन किया गया है। एपीडा द्वारा अंगूर के निर्यात के लिए ट्रेसबिलिटी की प्रभावी निगरानी के लिए सीजन की शुरुआत से पहले संबंधित राज्य सरकारों को

			आर.एम.पी दस्तावेज़ प्रदान किया जाएगा।
12	किसानों, निर्यातकों और प्रयोगशालाओं के लिए व्याख्यात्मक नोट्स	12.1	<p>अनुबंध -5 के लिए व्याख्यात्मक नोट इस प्रकार हैं:</p> <p>(क.) Co b जीन (G143A) के आधार पर डाउनी फफूंदी में प्रतिरोध Qol कवकनाशी (Fenamidone, Azoxystrobin, Famoxadone, Kresoxim methyl, Pyraclostrobin and Trifloxystrobin), Cellulose सिंथैस जीन (PvCesA3) के खिलाफ CAAA fungicides (CAVA) के खिलाफ है। भारत में प्रमुख अंगूर उगाने वाले क्षेत्रों से ट्राईजोल फंगिसाइड्स (Penconazole, Hexaconazole, Myclobutanil, Flusilazole, Difenoconazole, Tetraconazole) के खिलाफ CYP51 जीन (<math>14\alpha</math>-demethylase) पर आधारित फफूंदी का पता चला है। इन फफूंदनाशकों वाले योगों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए और उच्च जोखिम अवधि के दौरान इससे बचा जाना चाहिए।</p> <p>(ख.) फोकलर्फेनुरोन (CPPU) के अनुप्रयोग को छंटाई के 65 दिनों के बाद या 6-8 मिमी बेरी के आकार के बाद निरोध की संभावना को कम करने से बचा जाना चाहिए।</p> <p>(ग.) ऊपर उल्लिखित सभी खुराक उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर के लिए हैं, जहां सामान्य स्प्रे की मात्रा 1000 एल / हेक्टेयर स्प्रे की मात्रा है, हालांकि उपयोग किए गए स्प्रेयर की दक्षता के अनुसार बदला जा सकता है। हालांकि, 1000 एल स्प्रे समाधान के आधार पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुशंसित इसके सक्रिय संघटक के आधार पर प्रत्येक कीटनाशक की मात्रा को जैव-प्रभावकारिता सुनिश्चित करने और कीटनाशक अवशेषों को कम करने के लिए कड़ाई से बनाए रखा जाना चाहिए।</p> <p>(घ.) अनुशंसित PHI केवल तभी मान्य होगी जब तालिका में विशेष उल्लेख के मामले में अनुशंसित खुराक पर 7-15 दिनों के अंतराल पर एक एग्रोकेमिकल्स के दो अनुप्रयोग के मौसम में दिए गए हों।</p> <p>(ङ.) यदि कोई भी कीटनाशक लक्षित रोगों या कीटों को नियंत्रित करने में अप्रभावी पाया जाता है, तो यह सलाह दी जाती है कि वह बार-बार तैयार न होने दें क्योंकि इससे अवशेषों की समस्या हो सकती है और लक्षित रोगजनकों या कीड़ों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है।</p> <p>(च.) इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी सलाहकार प्रकृति की है। उपरोक्त कीटों और बीमारियों में से किसी के प्रबंधन</p>

		<p>के लिए रसायनों के उपयोग और यूरोपीय संघ-एमआरएल आवश्यकता के उत्पादन के अनुपालन की जिम्मेदारी उत्पादकों के साथ आराम करेगी।</p>
	12.2	<p>संलग्नक -9 के व्याख्यात्मक नोट इस प्रकार हैं:</p> <p>(क) वर्तमान अंगूर के मौसम के लिए निगरानी किए जाने वाले रसायनों की सूची यूरोपीय संघ की वेबसाइट <a href="http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?Event=पदार्थ.selection">http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?Event=पदार्थ.selection</a> से डाउनलोड किए गए डेटा पर आधारित है।</p> <p>(ख) एमआरएल मान और परिमाण की सीमा (एलओक्यू) मी.ग्रा / कि.ग्रा में हैं।</p> <p>(ग) भारत में पंजीकृत रसायनों के लिए ताजा टेबल अंगूर के मामले में रसायनों की निगरानी के लिए उनके एमआरएल और एलओक्यू मूल्यों के लिए निगरानी की सूची यूरोपीय संघ के डेटाबेस पर आधारित है।</p> <p>(घ) प्रतीक चिन्ह * रसायनों के एलओक्यू मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।</p> <p>(ङ) प्रतीक चिन्ह # 19 दिसंबर 2006 के आयोग विनियमन (ईसी) सं 1881/2006 के संदर्भ में एमआरएल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।</p> <p>(च) प्रतीक चिन्ह † प्राकृतिक उत्पाद हैं। इन रसायनों के लिए ई.यू- एमआरएल मौजूद नहीं हैं। इसलिए, उनका एमआरएल अंगूर के लिए एनआरसी की राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला में विकसित और मान्य विधि के एलओक्यू में सेट किया गया है।</p>
13	अस्वीकार / शिकायतों और रैपिड अलर्ट से निपटने की प्रक्रिया	<p>13.1 समय-समय पर उनके संशोधनों के साथ एपीडावेबसाइट में उपलब्ध एसओपी के अनुसार अस्वीकार / शिकायतों और रैपिड अलर्ट से निपटने की प्रक्रिया होगी।</p> <p>13.2 इसके अलावा, आर.ए.एस.एफ.एफ और अस्वीकृति के लिए स्पष्ट शर्त का पालन किया जाएगा:</p> <p>13.3 पहली आर.ए.एस.एफ.एफ/ अस्वीकृति पर:</p> <p>(क) संबंधित निर्यातक को आर.ए.एस.एफ.एफ के साथ सावधानी / चेतावनी / सूचना पत्र 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाएगा।</p> <p>(ख) स्पष्टीकरण न मिलने की स्थिति में, अपूर्ण और असंतोषजनक स्पष्टीकरण के लिए संबंधित निर्यातक को एक सप्ताह के भीतर एक अनुस्मारक जारी किया</p>

			<p>जाएगा।</p> <p>(ग) संबंधित निर्यातक को गैर-अनुपालन उत्पादों के निर्यात को तुरंत रोकने की सलाह दी जाएगी।</p>
		13.4	<p>दूसरा आर.ए.एस.एफ./ अस्वीकृति पर:</p> <p>(क) दूसरा आर.ए.एस.एफ. / अस्वीकृति प्राप्त होने पर निर्यातक के 15 दिनों का अस्थायी निलंबन किया जाएगा।</p> <p>(ख) 15 दिनों के भीतर अस्थायी निलंबन अवधि अनुपालन रिपोर्ट और निर्यातक द्वारा स्थापित सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे</p> <p>(ग) प्रयोगशालाओं को भी इस आशय की सूचना दी जाएगी ताकि अस्थायी रूप से निलंबित निर्यातक से कोई सैम्पल न लिया जाए।</p> <p>(घ) एनपीपीओ और डीएमआई को अस्थायी निलंबन अवधि के भीतर संबंधित निर्यातक को पीएससी और सीएजी जारी नहीं करने के लिए सूचित किया जाएगा।</p>
		13.5	<p>तीसरे आर.ए.एस.एफ./ अस्वीकृति प्राप्ति पर:</p> <p>(क) निर्यातक की आर.सी.एम.सी रद्द कर दी जाएगी।</p> <p>(ख) संबंधित निर्यातक और पैकहाउस की मान्यता प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।</p> <p>(ग) निर्यातक को तब तक निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह अनुपालन आवश्यकताओं के संतोषजनक प्रदर्शन के अनुरूप न हो।</p>
		13.6	आरएएसएफएफ की स्थिति में जहां निर्यातक पहचान योग्य नहीं है और सूचना के लिए अलर्ट है, निर्यातकों की सामान्य जानकारी के लिए आरएएसएफएफ को वेबसाइट में होस्ट किया जाएगा।
		13.7	अधिकृत प्रयोगशालाओं की ओर से नमूना लेने की विधि, विश्लेषण और अन्य आवश्यकताओं के आवेदन में विचलन की स्थापना की स्थिति में, लैब को ग्रेपेनेट में निलंबित कर दिया जाएगा
14	दंड प्रावधान	14.1	अंगूर में कृषि रासायनिक अवशिष्टों को नियंत्रित करने के लिए इन प्रक्रियाओं के उल्लंघन की स्थिति में, एपीडा द्वारा निम्नलिखित के अतिरिक्त एपीडा अधिनियम, 1985 के अध्याय- ड की धारा 19 (3) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है:

		<p>क.) इस प्रकार के नियातकों को आवंटित आयात-नियात कोड संख्या रद्द करने के लिए डी.जी.एफ.टी को सूचित करना।</p> <p>ख.) संबंधित प्रयोगशाला के ISO17025 मान्यता के निलंबन के लिए एनएबीएल को अनुशंसित किया जाएगा।</p> <p>ग.) निर्णय ली गई कोई अन्य कार्यवाई।</p>
--	--	--

तिथि: 21 अगस्त, 2017

स्थान : नई दिल्ली

09/09/2017 को हस्ताक्षरित

डी.के. सिंह

अध्यक्ष - एपीडा

आरएमपी अंगूर के अंतर्गत यूरोपीय संघ को अंगूर प्लॉट के पंजीकरण / नवीकरण के लिए आवेदन  
 (अंगूर उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,  
 पंजीकरण प्राधिकरण और जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी  
 तालुक-----जिला-----राज्य-----

विषय: निर्यात हेतु अंगूर फार्म का पंजीकरण/नवीकरण

महोदय,

कृपया निवेदन है कि ग्रेपनेट के माध्यम से अवशिष्ट निगरानी योजना के अंतर्गत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए मेरे अंगूर के खेत को पंजीकृत / नवीनीकृत करें। अन्य आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

1	अंगूर उत्पादकों का पूरा नाम	
	पिता/ पति का नाम	
	सहयोगियों का नाम	
क	पत्राचार का पता	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	एस.टी.डी कोड नं. के साथ टेलिफोन नं.	
	मोबाइल नं.	
	ई-मेल पता	
ख	उत्पादित फसल के सभी क्षेत्र के संकेतों के साथ प्लॉट के मानचित्र/लेआउट और फार्म/प्लॉट की लोकेशन का पता (सर्वेक्षण/प्लॉट सं.) (कृपया 7/12 की एक प्रति संलग्न करें)	
2	अंगूर फार्म पंजीकरण संख्या (बाग के नवीकरण की स्थिति में)	
3	कुल फार्म क्षेत्र (हैक्टेयर में)	
4	यदि वैश्विक गैप के साथ अंगूर फार्म पंजीकृत है तो विवरण दें (प्रति संलग्न करें)	
	प्रमाण-पत्र सं.	

	जारी करने की तिथि						
	वैधता की तिथि						
	पंजीकरण एजेंसी का नाम						
5	प्रत्येक प्लॉट के क्षेत्र के साथ फार्म में प्लॉट्स की संख्या						
	प्लॉट सं.	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	सर्वेक्षण/प्लॉट सं.	किस्म	वृक्षारोपण की तिथि	छंटाइ की तिथि	संभावित उत्पादन (मैट्रिक टन में)
	प्लॉट सं.01						
	प्लॉट सं.02						
	प्लॉट सं.03						
6	हार्वेस्टिंग की संभावित तिथि						
7	यदि कोई पैकहाउस पंजीकृत है तो उसकी संख्या एवं वैधता						
8	50/- रुपए प्रति प्लॉट/ वर्ष का आवेदन शुल्क						
	चालान सं.						
	राजकोष का नाम						
	राजकोष में जमा भुगतान की तिथि						
9	पिछले वर्ष के निर्यात का विवरण						
	मैट्रिक टन में मात्रा						
	निर्यातक का नाम						
	पैकहाउस का नाम						
	प्रयोगशाला का नाम जहां सैम्पल का विश्लेषण किया गया है						
10	क्या 2017-18 अंगूर सीजन में एन.आर.एल, पुणे द्वारा पिछले सीज़न में इंटरनल अलर्ट नोटिस जारी किया गया है (नवीकरण की स्थिति में अंगूर के फार्म का विवरण दें)						

यह प्रमाणित है कि उपरोक्त जानकारी सही है और उपरोक्त प्लॉट निलंबन के अधीन नहीं है / और न ही इसे यूरोपीय संघ को अंगूर के निर्यात के लिए इसे रद्द नहीं किया गया है।

तिथि

स्थान

किसान का हस्ताक्षर

किसान का नाम

## संलग्नक-2क भौतिक दस्तावेज़

**प्लॉट पंजीकरण और क्षेत्र रसायन अनुप्रयोग रिकॉर्ड (किसान/निर्यातक द्वारा अनुरक्षित किया जाए)**  
**(सैम्पलिंग के समय प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि को दी जाने वाले प्रति)**

- 1) प्लॉट पंजीकरण संख्या :
- 2) प्लॉट पंजीकरण/नवीकरण की तिथि :
- 3) किसान/संचालक का नाम एवं पता :
- 4) प्लॉट की लोकेशन (लेआउट/ निर्देश चिह्न)\* :
- 5) पंजीकृत फार्म/प्लॉट (हैक्टेयर) का कुल क्षेत्र :
- 6) अंगूर किस्मों के नाम :
- 7) रोपण की तिथि :
- 8) छंटाई की तिथि :
- 9) संभावित उत्पादन :
- 10) रसायन अनुप्रयोग मशीनरी उपयोग :
- 11) पैक हाउस पंजीकरण संख्या उसकी वैधता :
- 12) उपयोग हेतु तकनीकी प्राधिकरण :

क्र . सं	तिथि	छंटाई के बाद दिन	कृषि रसायन व्यापार नाम	सक्रिय घटक	बैच सं. और तिथि	ल क्ष्य की ट	निवार क/ मात्रिक	कृषि रासायनि क ग्राम/ मि.ली. प्रति लीटर	**प्रति प्लॉट में कृषि रासायनि क मात्रा	** जल प्रति प्लॉट	पूर्व हार्वेस्ट अंत राल	हार्वेस्ट के दिन	स्प्रे का समय	संचाल का नाम एवं हस्ताक्षर	
		संभावित	वास्तविक												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	1 4	15	16

\* फार्म/प्लॉटों के लेआउट का रेखाचित्र/स्केच संलग्न किया जाए जिसमें समीपवर्ती आवासीय संपत्तियां भी प्रदर्शित हों।

\*\* प्लॉट का आकार अधिकतम 1.2 हैक्टेयर (अनुच्छेद 3.9 देखें) हो।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्लॉट पर “अंगूर निर्यात हेतु प्रक्रियाएं” के अनुच्छेद 3.2 से 3.11 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर काम किया गया है और उपरोक्त प्लॉट का विवरण एपीडा वेबसाइट पर अंगूर नेट पर बनाए रखा गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संलग्नक सहित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, प्लॉट का रेखाचित्र/मानचित्र लेआउट और इस हस्ताक्षरित संलग्नक को यथास्थिति किसान/निर्यातक को सौंप दिया गया है।

उपरोक्त जानकारी सही है। पिछले सीजन के दौरान इस प्लॉट का कुल उत्पादन .... मीट्रिक टन होने का अनुमान है। कृषि/बागवानी अधिकारी (नाम और हस्ताक्षर) द्वारा जांच और प्रमाणित किया गया है:

कृषि/बागवानी अधिकारी का आधिकारिक पता (अनिवार्य)

तिथि:

किसान/प्राधिकृत संचालक का हस्ताक्षर

स्थान:

पता (अनिवार्य)

सरकारविभाग**निर्यात हेतु अंगूर फार्म पंजीकरण का प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 10.10.2018 की एपीडा व्यापार सूचना सं: एपीडा / क्यू / 56 / 2018-19 के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान भारत से ताजे अंगूरों के निर्यात के लिए कीटनाशकों के लिए एपीडा अवशिष्ट निगरानी योजना के साथ \_\_\_\_\_ अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रिया के अनुसार \_\_\_\_\_ को जिला कृषि अधीक्षक / बागवानी अधिकारी के कार्यालय के साथ अंगूर उत्पादक / अंगूर निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अंगूर उत्पादक का विवरण निम्नलिखित है:

अंगूर उत्पादक का नाम

पूरा पता

गांव

तालुक/मंडल

जिला

क्र.सं.	सर्वेक्षण/जी.ए.टी सं.	प्लॉट सं.	किस्म	प्लॉट का क्षेत्र (हैक्टेयर)	फार्म पंजीकरण संख्या.

- 1) मानचित्र लेआउट संलग्न है।
- 2) इस प्रमाण-पत्र की मान्यता तिथि:
- 3) मैंने पंजीकरण के संबंध में सर्वेक्षण/जी.ए.टी संख्या का निरीक्षण कर लिया है और मेरी जानकारी में उपरोक्त सूचना सही है।

स्थान:



पंजीकरण प्राधिकरण एवं जिला अधीक्षक  
कृषि / बागवानी अधिकारी

तिथि:

MH1107120901

निर्यात हेतु अंगूर के पंजीकरण के नियम एवं शर्तें

- क) केवल अभ्यास पैकेज की अनुशंसा की जाए।
- ख) किसानों द्वारा केवल उन्हीं कृषि रसायनों का उपयोग किया जाए जिनके उपयोग की अनुमति है और जो कृषि रसायन संलग्नक-5 में सूचीबद्ध हैं।

- ग) गैर-ब्रांडेड, गैर-अनुशंसित या प्रतिबंधित कृषि रसायनों या अन्य हानिकारक रसायन का उपयोग न किया जाए।
- घ) अवशिष्ट परीक्षण के लिए सैम्पल को लेने के बाद किसी भी प्रकार के अन्य कीटनाशक को छिड़काव न किया जाए / लगाया न जाए।
- ङ) पंजीकृत किसान द्वारा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले निर्धारित पंजिका में उनके द्वारा पालन किए गए अभ्यास पैकेजों का रिकॉर्ड बनाए रखा जाए।
- च) हार्वेस्ट के समय पंजीकृत किसान/निर्यातक द्वारा संलग्नक-5 में यह घोषणा प्रस्तुत की जाए कि प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए सैम्पल लेने के पश्चात किसी भी पेस्टनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि का छिड़काव नहीं किया जाए/ लगाया नहीं जाए।
- छ) उनके द्वारा पंजीकरण रिकॉर्ड या पंजीकरण प्रमाण-पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जाए।
- ज) उत्पादकों को अपंजीकृत फॉर्म्स से अंगूर की सैम्पलिंग या निर्यात करने की अनुमति नहीं है।
- झ) आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष नियत तिथि से पूर्व विस्तृत विवरण के साथ अंगूर बाग के पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाए।

### घोषणा

(किसान द्वारा निर्यातक को दी जाए)

मैं, \_\_\_\_\_, निवासी \_\_\_\_\_ और अंगूर के खेत के साथ प्लॉट (s) पंजीकरण Nos. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (यदि लागू हो) पर नवीनीकृत, इसके द्वारा, यह प्रमाणित करता हूँ:

- 1) इस दस्तावेज में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके मेरे / हमारे फार्महाउस के तहत सभी भूखंडों को जिला कृषि / बागवानी कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया है और उपरोक्त उल्लिखित भूखंडों में से कोई भी निलंबित नहीं है / यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए रद्द कर दिया गया है।
- 2) \_\_\_\_\_ पर, मैंने परीक्षण के लिए \_\_\_\_\_ (प्रयोगशाला) के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अंगूर के नमूनों को आकर्षित करने की अनुमति दी है। अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रियाओं के संलग्नक -8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूनों के आहरण के बाद, मैंने अंगूर के प्लॉट पर हर्बल उत्पादों (विकास नियामकों सहित) सहित एनआरसी अंगूर द्वारा अनुशंसित लोगों की तुलना में किसी भी प्रकार के रसायनों या संटूषक, कीटनाशक, कवकनाशी, खरपतवारनाशक का छिड़काव नहीं किया है।
- 3) \_\_\_\_\_ मीट्रिक टन / किलोग्राम की कटाई। मेरे प्लाट से अंगूर \_\_\_\_\_ पर मेरी देखरेख में निकाले गए हैं और अंगूर को \_\_\_\_\_ क्रेट / बॉक्स / आदि की संख्या में संग्रहीत किया गया है।
- 4) मैं हार्वेस्टिड अंगूर के निर्यात को स्वयं / मेसर्स (निर्यातक) के माध्यम से प्रभावित करने का प्रस्ताव करता हूँ। कोल्ड स्टोरेज / पैकहाउस का पता इस प्रकार होगा:

----- (पैक हाउस और इसकी मान्यता का एफीडा पंजीकरण संख्या)

- 5) ऊपर वर्णित भूखंडों में शेष बचे अंगूर के लगभग \_\_\_\_\_ मीट्रिक टन/ किलोग्राम की मात्रा की सूचना जिला कृषि / बागवानी कार्यालय को दी जाएगी।

तिथि:

किसान / प्लॉट पंजीकरण संख्या के साथ किसान द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

संलग्नक-4 (क) इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

**अंगूर फार्म/प्लॉट की निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी)  
और किसान के द्वारा पहले निरीक्षण (यूरोपीय संघको निर्यात हेतु अंगूर बागों के नवीन पंजीकरण/नवीकरण के  
समय) के द्वारा बनाए रखा जाएगा**

1	किसान/उत्पादक का नाम और पता	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	एस.टी.डी कोड सहित फोन नं.:	
	मोबाइल नं.	
	ई-मेल पता	
2	प्लॉट पंजीकरण संख्या और नवीकरण की तिथि	
3	प्लॉट का पता	
	सर्वेक्षण सं./ प्लॉट सं.	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
4	प्लॉट के प्लॉट मानचित्र का कुल क्षेत्र (कृपया फार्म फसल उत्पादन की सभी दिशाओं को निर्दिष्ट करें एवं संलग्नक-2 और मानचित्र लेआउट संलग्न करें)	
5	पंजीकरण देर से होने की स्थिति में सीमांकित क्षेत्रों को इंगित करें	
6	क्या प्लॉट, अच्छे कृषि अभ्यासों (जी.ए.पी) के लिए प्रमाणिकृत है, यदि हां तो मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें  प्रमाण-पत्र सं.  जारी होने और मान्यता की तिथि	
7	पिछले वर्ष का निर्यात विवरण  मात्रा (मीट्रिक टन में)  निर्यातक का नाम  पैकहाउस का नाम  उस प्रयोगशाला का नाम जहां सैम्पलों का विश्लेषण किया गया है	

8	क्या पिछले सीजन के दौरान पुणे स्थित एन.आर.एल से आंतरिक अलर्ट सूचना जारी की गई है हां/नहीं (यदि हां तो अलर्ट सूचना का विवरण दें)	
9	खिलने की तिथि	
10	कीट एवं बीमारी से संबंधित फसल की स्थिति और फसल का चरण	
11	किसान को दिया गया कोई परामर्श	
12	निरीक्षण प्राधिकरण की अनुशंसाएं (क्या प्लॉट पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण के लिए योग्य है) हां/नहीं (यदि कोई विशिष्ट कारण नहीं है)	
13	निरीक्षण की तिथि	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्लॉट का पंजीकरण विवरण एपीडा वेबसाइट पर वेब आधारित डाटाबेस पर बनाए रखा गया है

किसान/उत्पादक का हस्ताक्षर  
उत्पादक का नाम

नाम और पता

निरीक्षण प्राधिकरण का हस्ताक्षर  
कार्यालय की मुहर के साथ निरीक्षण प्राधिकरण का पूरा

संलग्नक-4 (ख) इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

निर्यात योग्य पंजीकृत अंगूर के फार्म/ प्लॉट की निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) और निर्यात हेतु दूसरी एवं अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट को किसान द्वारा बनाए रखा जाए (इसकी प्रति को सैम्पलिंग के समय प्रयोगशाला के प्रतिनिधि को दिया जाए)

1	अंगूर किसान/ उत्पादक का नाम और पता पूरा नाम	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	फोन नं./मोबाइल नं.	
	ई-मेल पता	
2	प्लॉट पंजीकरण संख्या और नवीकरण की तिथि	
3	प्लॉट का पता सर्वेक्षण सं./प्लॉट सं.	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
4	प्लॉट के नक्शे का कुल क्षेत्रफल (उगाई गई कृषि फसल के सभी पक्षों को इंगित करें और संलग्नक -2 और मानचित्र लेआउट संलग्न करें)	
5	यदि विलंबित से पंजीकरण (क्रिया से पहले) सीमांकित क्षेत्रों को दर्शाता है (पैरा 3.5, 3.6 और 4.3 देखें)	
6	क्या प्लॉट उत्तम कृषि अभ्यास (जीएपी) के लिए प्रमाणित है, यदि ऐसा है तो मान्य प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें	
7	पिछले वर्ष का निर्यात विवरण	
	मात्रा (मीट्रिक टन में)	
	निर्यातक का नाम	
	पैक हाउस का नाम	
	प्रयोगशाला का नाम जहां सैम्पल विश्लेषण	

	किया गया था	
8	एनआरएल, पुणे द्वारा पिछले अंगूर के मौसम के दौरान आंतरिक चेतावनी नोटिस जारी किया गया है या नहीं	
	हाँ / नहीं (यदि हाँ चेतावनी सूचना का विवरण दें)	
9	प्रूनिंग की तिथि	
10	कीट और रोगों से संबंधित फसल की अवस्था और फसल की अवस्था	
11	किसान के लिए कोई सलाह	
12	निरीक्षण प्राधिकरण की सिफारिशें (चाहे पंजीकरण के लिए प्लॉट फिट हो / पंजीकरण नवीनीकरण)	
	हाँ / नहीं (यदि कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है)	
13	निरीक्षण की तिथि	

यह प्रमाणित है कि एपीडा वेबसाइट पर रखे गए वेब आधारित डेटाबेस पर उपरोक्त प्लॉट का पंजीकरण विवरण दर्ज किया गया है

अंगूर उत्पादकों का हस्ताक्षर  
उत्पादक का नाम

निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर  
निरीक्षण अधिकारी की मुहर सहित पूरा नाम और पता

संलग्नक - 4 (क) इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

एक्सपोर्टबल रजिस्टर्ड ग्रेप फार्म / प्लॉट की निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि / बागवानी अधिकारी) द्वारा बनाए रखी जाएगी और यूरोपीय यूनियन को निर्यात के लिए दूसरी और अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट किसान (सैम्पलिंग से पहले अधिकतम 20 दिन)  
(सैम्पलिंग के समय प्रयोगशाला के प्रतिनिधि को प्रतिलिपि दी जाए)

1	फार्म/प्लॉट पंजीकरण सं.	
2	अंगूर उत्पादक का नाम और पता	
	पूरा नाम	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	फोन नं./मोबाइल नं.	
3	फॉर्म/प्लॉट का पता	
	सर्वेक्षण सं./जी.ए.टी सं.	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
4	जी.ए.पी प्रमाण-पत्र सं. (यदि कोई है)	
5	प्लॉट का कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	
6	पहली निरीक्षण रिपोर्ट सं. और तिथि	
7	कीट एवं बीमारी से संबंधित फ़सल की स्थिति और फ़सल की गुणवत्ता	
	क) बैकटीरियल ब्लाइट	हां/नहीं
	ख) विल्ट	हां/नहीं
	ग) लीग फ्रूट स्पोर्ट्स	हां/नहीं
	घ) फंगल ब्लाइट	हां/नहीं
	ड.) फ्रूट बोरर	हां/नहीं
	च) स्टेम बोरर	हां/नहीं
	छ) मिली बग	हां/नहीं
	ज) थ्रिप्स/एफिड्स/जेसिड्स/व्हाइट फ्लाइस	हां/नहीं
	झ) माइट्स	हां/नहीं
	झ) नेमाटोड्स	हां/नहीं

	ठ) विडीसीइस	हां/नहीं
	ड) गुणवत्ता (ब्राउनिंग आदि) से संबंधित कोई अन्य अवलोकन	हां/नहीं
8	एग्रोकेमिकल्स की सूची के संबंध में स्प्रे रिकॉर्डों का सत्यापन और विभिन्न बीमारियों एवं कीट बीमारियों के नियंत्रण के लिए एन.आर.सी द्वारा अनुशंसा के अनुसार अन्य कृषि इनपुट	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
9	प्लॉट की संभावित कुल हार्वेस्ट (मीट्रिक टन) (हैक्टेयर में पौधों की संख्या और पौधों की औसत संख्या/फल का औसत वज़न)	
10	हार्वेस्टिंग की संभावित तिथि	
11	उस अवशिष्ट प्रयोगशाला का नाम जहां सैम्पलों का विश्लेषण किया जा रहा है	
12	क्या एग्रोकेमिकल्स, पौध पैदावार नियंत्रक और अन्य रसायनों का समय एन.आर.सी अंगूर अनुशंसा के अनुसार है	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
13	क्या किसान द्वारा वर्ष के दौरान कृषि/बागवानी अधिकारी के अन्य परामर्श/अनुशंसा का पालन किया है	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
14	क्या सैम्पलिंग को अवशिष्ट प्रयोगशाला द्वारा संपन्न किया गया है (कृपया प्रक्रिया का अनुच्छेद 4.7 देखें)	अनुशंसित/ गैर-अनुशंसित
15	सैम्पलों को निकालने की गैर-अनुशंसा का कारण (कृपया प्रक्रिया का अनुच्छेद 4.7 देखें)	
16	इस स्तर पर कीटों और बीमारियों और अंगूर की गुणवत्ता के बारे में किसान को दी गई सलाह / अनुशंसा	
17	निरीक्षण तिथि	

उत्पादक का नाम

निरीक्षण अधिकारी की मुहर सहित पूरा नाम  
और पता

- CC: 1. पंजीकरण प्राधिकरण (अंगूर फार्म/प्लॉट)  
2. अवशिष्ट प्रयोगशाला के प्रतिनिधि

## सैम्पल निकालने वाली प्रयोगशाला द्वारा पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं ही प्रयोगशाला विश्लेषण के उद्देश्य से और संलग्नक-7 में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए इस प्लॉट से अंगूरों के सैम्पलों को निकाला है। मैंने वर्तमान में मान्य प्लॉट ड्राव्हन/मानचित्र लेआउट पंजीकरण की एक प्रति प्राप्त की है और यह प्लॉट मानचित्र के अनुसार है। मैं यह पंजीकृत करता हूं कि यह प्लॉट मान्य है। मैंने संलग्नक-2 की प्रति भी प्राप्त की है।

तिथि:

हस्ताक्षर

स्थानः

नामित प्रयोगशाला के प्राधिकृत प्रतिनिधि

का नाम और कार्यालय का पता

अंगूर उत्पादकों का हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर



राष्ट्रीय अंगर अनुसंधान केन्द्र  
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)  
डाक पेटी नं.3, मंजरी फार्म डाकघर, सोलापुर रोड, पुणे-412307, भारत  
NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR GRAPES  
(INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH)  
P.B. NO. 3, MANJRI FARM POST, SOLAPUR ROAD,  
PUNE - 412 307, INDIA  
Tel: +91-20-26956000 (EPABX), Fax: +91-20-26956099  
E-Mail: nrcgrapes@gmail.com; Website: <http://nrcgrapes.nic.in>

संलग्नक-5

संशोधन तिथि: 30 अगस्त, 2017

**List of chemicals with CIB & RC label claim for use in grapes**

Sr. No.	Chemical recommended for major disease & pest	Nature of chemical	Dose on formulation basis	EU MRL (mg/kg)	Pre-harvest Interval (PHI in days)
I	<b>Downy Mildew</b>				
1.	Mancozeb 75 WP	NS	1.5-2.0 g/L	5.0	66
2.	Propineb 70 WP	NS	3.0 g/L	1.0	40 (avoid using after fruit set)
3.	COC 50 WP	NS	2.5 g/L, 2.4 g/L	50.0	42 (avoid using after fruit set)
4	Copper hydroxide 53.8 DF	NS	1.5 g/L	50.0	12
5.	Fosetyl Al 80 WP	S	1.4-2.0 g/L	100.0	30
6.	Metalaxyl + Mancozeb 8+64 WP	S + NS	2.5 g/L	2.0 + 5.0	66
7.	Metalaxyl-M + Mancozeb 4+64 WP	S + NS	2.5 g/L	2.0 + 5.0	66
8.	Cymoxanil + Mancozeb 8+64 WP	S + NS	2.0 g/L	0.3 + 5.0	66
9.*	Ametoctradin 27 + Dimethomorph 20.27 SC	NS + S	800-1000 mL/ha	6.0 + 3.0	34
10.*	Dimethomorph 50 WP + Mancozeb 75 WP as tank mixture	S + NS	0.5 to 0.75 g/L + 2.0 g/L	3.0 + 5.0	66
11.*	Fenamidone + Mancozeb 10+50 WG	S + NS	2.5 to 3 g/L	0.6 + 5.0	85
12.*	Azoxystrobin 23 SC	S	494 mL/ha	3.0	7
13.*	Iprovalicarb + Propineb 5.5+61.25WP	S + NS	2.25 g/L	2.0 + 1.0	55

Sr. No.	Chemical recommended for major disease & pest	Nature of chemical	Dose on formulation basis	EU MRL (mg/kg)	Pre-harvest Interval (PHI in days)
14.*	Famoxadone 16.6 % + Cymoxanil 22.1 % SC	S + NS	500 mL/ha	2.0 + 0.3	27
15.*	Kresoxim methyl 44.3 SC	S	600-700 mL/ha	1.0	30
16.*	Pyraclostrobin 5% + Metiram 55% 60WG	S + NS	1.5-1.75 kg/ha	1.0 + 5.0	34
17.	Fluopicolide 4.44% + Fosetyl-Al 66.67% WG	S	2.25 to 2.5 kg/ha	2.0 + 100	40
18.*	Mandipropamid 23.4% SC	NS	0.8 mL/L	2.0	5
19.*	Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG	S + NS	1500 g/ha	3.0 + 5.0	66
20.	Copper Sulphate 47.15% + Mancozeb 30% WDG	NS	5000 g/ha	50.0 + 5.0	66
21.*	Dimethomorph 12% + Pyraclostrobin 6.7% WG	S + S	1500mL/ha	3.0 + 1.0	55
22.*	Azoxystrobin 11 % + Tebuconazole 18.3% w/w	S + S	750 mL/ha	3.0 + 0.5	60
23	Cyazofamid 34.5% SC	NS	200 mL/ha	2.0	50
<b>II Powdery Mildew</b>					
24.*	Penconazole 10 EC	S	0.50 mL/L	0.4	50
25*	Hexaconazole 5 EC	S	1.0 mL/L	0.01	60
26.*	Myclobutanil 10 WP	S	0.40 g/L	1.0	30
27.*	Flusilazole 40 EC	S	25 mL/200L	0.01	60
28.*	<i>Difenoconazole 25EC</i>	S	0.50 mL / L	3.0	45
12a.*	Azoxystrobin 23 SC	S	494 mL / ha	3.0	7
15a.*	Kresoxim methyl 44.3 SC	S	600-700 mL/ha	1.0	30
29	Sulfur 40 SC, 55.16 SC, 80 WP, 80 WDG, 85 WP	NS	3.0 mL, 3.0 mL, 2.50 g, 1.87-2.50 g, 1.50-2.0 g/L, respectively	<u>No MRL required</u>	PHI not applicable
30.*	Tetraconazole 3.8EW	S	0.75 mL/L	<u>0.5</u>	30
31.*	Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG	S + S	0.175 g/L	<u>0.5 + 3.0</u>	34
32.*	Fluopyram 200+Tebuconazole 200SC	S + S	0.563 mL/L	<u>1.5 + 0.5</u>	60
33.	Metrafenone 50% SC	S	250 mL/ha	<u>7.0</u>	22

<b>Sr. No.</b>	<b>Chemical recommended for major disease &amp; pest</b>	<b>Nature of chemical</b>	<b>Dose on formulation basis</b>	<b>EU MRL (mg/kg)</b>	<b>Pre-harvest Interval (PHI in days)</b>
34.	Fluxapyroxad 25% + Pyraclostrobin 25% SC	S + S	200 mL/ha	<b><u>3.0 + 1.0</u></b>	60
35.*	Boscalid 25.2% + Pyraclostrobin 12.8% w/w WG	S + S	500-600 mL/ha	5.0 + 1.0	55
22a.*	Azoxystrobin 11 % + Tebuconazole 18.3% w/w	S + S	750 mL/ha	3.0 + 0.5	60
<b>III Anthracnose</b>					
2a.	Propineb 70 WP	NS	3.0 g/L	1.0	40
3a.	COC 50 WP	NS	2.5 g/L, 2.40 g/L	50.0	42 (avoid using after fruit set)
36.	Carbendazim 50 WP, 46.27 SC	S	1.0 g/L, 1.0 mL/L	0.30	50
37.	Thiophanate methyl 70 WP	S	0.71- 0.95 g/L	0.1	50 (Use of Thiophanate methyl should be avoided after flowering stage)
32a.	Fluopyram 200+Tebuconazole 200SC	S + S	0.563 mL/L	<b><u>1.5 + 0.5</u></b>	60
19a	Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG	S + NS	1500 g/ha	3.0 + 5.0	66
20a	Copper Sulphate 47.15% + Mancozeb 30% WDG	NS + NS	5000 g/ha	50.0 + 5.0	66
38	Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP	S + NS	1500 g/ ha	0.30 + 5.0	66
<b>IV Flea beetle</b>					
39.	Imidacloprid 17.8 SL	S	0.30-0.40 mL/L	1.0	60 (Use of imidacloprid should be avoided during pre-flowering and flowering stage)
40	Lambda-cyhalothrin 4.9 CS	NS	0.25-0.50 mL/L	0.08	45
<b>V Thrips</b>					
41.	Emamectin benzoate 05 SG	NS	0.22 g/L	0.05	25

Sr. No.	Chemical recommended for major disease & pest	Nature of chemical	Dose on formulation basis	EU MRL (mg/kg)	Pre-harvest Interval (PHI in days)
42.	Fipronil 80 WG	NS	0.05-0.0625 g/L	0.005	75 (only one application before flowering stage)
40a.	Lambda-cyhalothrin 4.9 CS	NS	0.25-0.50 mL/L	0.08	45
43	Cyantraniliprole 10 OD	S	0.70 mL/L	1.5	60
<b>VI Mealybugs</b>					
44.	<i>Buprofezin 25 SC</i>	NS	1.00-1.50 mL/L	1.0	40
45.	<i>Methomyl 40 SP</i>	S	1.25 g/L	0.01	75 (only one application before flowering stage)
<b>VII Plant Growth Regulators</b>					
46.	Hydrogen cyanamide 50 SL	S	30-40 mL/L	0.01	90-120
47.\$	Forchlорfenuron (CPPU) 0.1% L	S	1-2 ppm	0.01	60
48.	Gibberellic acid (GA3) Technical	S	100 ppm (Cumulative Usage)	No MRL Required	PHI not applicable
49.	1-Naphthyl acetic acid 4.5% L	S	100 ppm	0.06	15
50	Chlormequat chloride 50 SL	S	600-1000 ppm	0.05	PHI data not available
<b>VIII Herbicides</b>					
51.	Paraquat dichloride 24 SL	NS	5 mL/L	0.02	PHI data not available

NS = Non-systemic, S = Systemic

\*. Resistance in downy mildew based on Cys b gene (G143A) against Qo1 fungicides (Fenamidone, Azoxystrobin, Famoxadone, Kresoxim methyl, Pyraclostrobin and Trifloxystrobin), cellulose synthase gene (*PvCesA3*) against CAA fungicides (Dimethomorph, Iprovalicarb and Mandipropamid) and resistance in powdery mildew based on *CYP51* gene (14 $\alpha$ -demethylase) against triazole fungicides (Penconazole, Hexaconazole, Myclobutanil, Flusilazole, Difenoconazole, Tetraconazole) have been detected in India from major grape growing areas. Use of formulations containing these fungicides should be minimized and avoided during high risk periods.

\$. Application of Forchlорfenuron (CPPU) should be avoided after 65 days of pruning or after 6-8 mm berry size is attained to reduce the chances of detections.

#### Note

- All the doses mentioned above are for high volume sprayers, where normal spray volume is 1000

L/ha. Spray volume can however be changed as per the efficiency of sprayers used. However, the amount of each pesticide based on its active ingredient recommended for 1 ha area on the basis of 1000 L spray solution should be strictly maintained to ensure bio-efficacy and to minimize pesticide residues

- Recommended PHI will be valid only if two applications of an agrochemical are given per fruiting season at the interval of 7-15 days at recommended dose except in case of special mention in table.
- If any of the pesticide found ineffective in controlling the targeted diseases or pests, it is advised not to give repeated applications of the formulation since it may lead to residue issues and increase the resistance population of targeted pathogen or insects.
- The information provided in this document is of advisory nature. The responsibility of usage of chemicals for the management of any of the above pests and diseases and compliance of the produce to the EU-MRL requirement will rest with the growers.
- Since risk of more than one pest may overlap, if appropriate insecticide is used, control of non-targeted pest can be achieved. Compliance for dose, number of applications and PHI as recommended for target pest is essential and should be strictly adhered.

## मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची

सं.	प्रयोगशाला का नाम और संपर्क विवरण	स्थिति
	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) पी.बी. सं.3, मंजरी फार्म पोस्ट, सोलापुर रोड, पुणे 412307 फोन: +91-20-26956002 ई.पी.ए.बी.एक्स: +91-20-26956000 फैक्स: +91-20-26956099 nrcgrapes@gmail.com; apedanrl@gmail.com;	पौध उत्पत्ति के उत्पादों के लिए एन.आर.एल
1	एनवायरोकेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ए-7 एम.आई.डी.सी वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट मेन रोड ठाणे 400604 फोन: 022-25838285-88 फैक्स: 25838289 <a href="mailto:info@envirocare.co.in">info@envirocare.co.in</a>	आई.एस.ओ/आई.ई.सी-17025 प्रत्यायित एवं एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त
2	यूरोफिन्स एनालेटिकल सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड #540/1, डोडनाकुंडि इंडस्ट्रियल एरिया2, हूडी, व्हाइटफील्ड, बंगलुरु 560048 फोन: 080-30982500 फैक्स: 41680405 <a href="mailto:SanjeevKhatri@eurofins.com">SanjeevKhatri@eurofins.com</a> ; <a href="mailto:GouriSatpathy@eurofins.com">GouriSatpathy@eurofins.com</a> ;	
3	फर्स्ट सोर्स लेबोरेटोरी सॉल्यूशन एल.एल.पी (एनालेटिकल सर्विसेस) पहली मंजिल प्लॉट नं. ए1/बी, आई.डी.ए नाचाराम क्रॉस रोड हैदराबाद 500076 फोन: 040-27177036 फैक्स: 040-27174037 <a href="mailto:crm@firstsourcelabs.com">crm@firstsourcelabs.com</a> ; <a href="mailto:sudhakar@firstsourcelabs.com">sudhakar@firstsourcelabs.com</a> ;	
4	जियो केम लेबोरेटोरीज़ प्राइवेट लिमिटेड प्रगति, एडजेसेंट टू क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंजूर मार्ग (ई) मुम्बई 400042 फोन: 022-61915100 फैक्स: 022-61915101 <a href="mailto:neel@geochemgroup.com">neel@geochemgroup.com</a> ; <a href="mailto:sureshbabu.p@geochem.net.in">sureshbabu.p@geochem.net.in</a> ; <a href="mailto:laboratory@geochem.net.in">laboratory@geochem.net.in</a> ;	
5	इंटरफील्ड्स लेबोरेटोरीज XIII/1208, इंटरप्रिंट हाउस कोच्चि 682005 फोन: 0484-2217865, 2210915, 221838 <a href="mailto:qm@ifl.in">qm@ifl.in</a> ; <a href="mailto:gm@ifl.in">gm@ifl.in</a> ; <a href="mailto:jp@ifl.in">jp@ifl.in</a> ;	
6	माइक्रोकेम सिलीकर प्राइवेट लिमिटेड माइक्रोकेम हाउस ए-513 टी.टी.सी इंडस्ट्रियल एरिया एम.आई.डी.सी महापे नवी मुम्बई 400701 फोन: 022-27787800 <a href="mailto:vidhya.gangar@mxns.com">vidhya.gangar@mxns.com</a> ; <a href="mailto:jeetendra.patil@mxns.com">jeetendra.patil@mxns.com</a> ; <a href="mailto:qa.in@mxns.com">qa.in@mxns.com</a> ;	
7	नेशनल कोलेटरल मेनेजमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड (एन.सी.एम.एल) टीम टॉवर्स,	

	<p>चौथी मंजिल, प्लॉट नं.- ए-1/2/ए इंडस्ट्रियल पार्क आई.डी.ए-उप्पल हैदराबाद 500039</p> <p>फोन: 040-66374700, 09959333267 Ganesh.r@ncmsl.com; vidya.k@ncmsl.com;</p>	
8	<p>राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एन.एच.आर.डी.एफ)</p> <p>कीटनाशक अवशिष्ट विश्लेषण प्रयोगशाला अनुसंधान कॉम्पलेक्स चिट्टेगांव फाटा</p> <p>पी.ओ धर्मा सांगवी तालुक. निफड नासिक औरंगाबाद रोड नासिक 422003</p> <p>फोन: 02550-237551, 237816 फैक्स: 237947 nhrdf_nsk@sancharnet.in;drpkgupta11@gmail.com;</p>	
9	<p>नवल एनालेटिकल लेबोरेटोरीज़</p> <p>प्लॉट 100 न्यू सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट श्रीनगर, हॉसुर 635109</p> <p>फोन: 04344-329718, 09894785841 green_balu74@yahoo.com; ecogreen.labs@gmail.com;</p>	
10	<p>टी.यू.वी इंडिया लिमिटेड (टी.यू.वी नॉर्ड पुणे) सर्वेक्षण सं: 423/1 एंड 3/2 परांशंकर ऑटो (बनेर) के पास शुष-पाषाण रोड पुणे 411021 फोन: 020-67900000 foodlab@tuv-nord.com; mumbai@tuv-nord.com;</p>	
11	<p>टी.यू.वी सुड साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड नं. 151 सेकेंड सी मेन स्टेज</p> <p>पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट बंगलुरु 560058 फोन: 080-67458000 फैक्स: 080-67458058 suresh.kumar@tuv-sud.in; meena.mariappan@tuv-sud.in;</p>	
12	<p>विमता लैब्स लिमिटेड भवित जेनेसिस</p> <p>5वीं मंजिल क्रं.सं. 245 वाकड-हिंजवाडी वाकड पुणे 411057</p> <p>फोन: 020-67404040 shriram.kulkarni@vimta.com; foodlab.pune@vimta.in;</p>	

मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं/एन.आर.एल द्वारा पालन किए जाने वाले फार्म/प्लॉट से अंगूर की सैम्पलिंग की प्रक्रिया क. विश्लेषण के लिए टेबल अंगूरों की सैम्पलिंग हेतु प्रक्रिया

#### 1. सैम्पल कौन निकालेगा?

एपीडा की नामित प्रयोगशाला द्वारा मान्यता-प्राप्त व्यक्तियों (संलग्नक 6 के अनुसार) द्वारा सैम्पल निकाले जाएं।

- टेबल अंगूरों की सैम्पलिंग के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के पास मान्यता-प्राप्त से प्राधिकरण पत्र हो।
- सैम्पलिंग हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के पास प्रयोगशाला द्वारा जारी पहचान पत्र हो।

#### 2. किस बाग से सैम्पल एकत्र किया जाना है?

सैम्पलों को केवल उन बागों से लिया जाए जो संबंधित राज्य सरकार के जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारी के साथ निर्यात के लिए पंजीकृत हैं। सैम्पलिंग से पूर्व, पंजीकृत बाग से संबंधित दस्तावेजों को प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित / प्रतियों को प्राप्त किया जाएगा:

- राज्य सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- अंगूर बाग/ प्लॉट (संलग्नक-2) का पंजीकरण रिकॉर्ड और रेखाचित्र/ मानचित्र लेआउट।
- कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा उपलब्ध किए गए प्लॉट रेखाचित्र/ मानचित्र लेआउट स्पष्ट न होने की स्थिति में प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा मुख्य दस्तावेज के भाग 5 में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर सैम्पल को बनाना जारी रखा जाए। हालांकि, ऐसा करने पर उसके द्वारा रेखाचित्र के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध किया जाए और उस पर किसान का पृष्ठांकन प्राप्त किया जाए एवं वेबसाइट पर उसके या उसके प्रतिनिधि को एक प्रति उपलब्ध की जाए।
- किसान/निर्यातक द्वारा फील्ड अवशिष्ट आवेदन रिकॉर्ड बनाए रखा जाए (संलग्नक-2)।
- कृषि/बागवानी अधिकारी की दूसरी और अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट [संलग्नक-4(ख)]। यह परामर्श दिया जाता है कि संलग्नक-4(क) को भी देखा जाए।
- किसान और निर्यातक द्वारा हस्ताक्षरित सैम्पल स्लिप (संलग्नक-8)।

#### 3. उस खण्ड को निर्दिष्ट किया जाए जहां से सैम्पल निकाला जाएगा?

पंजीकरण प्रमाण-पत्र, मानचित्र लेआउट और संलग्नक-2 में दी गई जानकारी को खण्ड को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाए। यह अपेक्षा भी की जाती है कि खण्ड/प्लॉट के रेखाचित्र, कृषि/बागवानी अधिकारी की पहली निरीक्षण रिपोर्ट [संलग्नक-4(क)] के साथ उपलब्ध हो। अतः, प्लॉट को खण्ड के नाम/प्लॉट, दिशा, लैंडमार्क जैसे सड़क, कुआं, पंपहाउस, शेड आदि जैसे निकटतम स्थल के आधार पर निर्धारित किया जाए।

- खण्ड/प्लॉट का वह क्षेत्र जहां से सैम्पलों को लिया जाना है उनका क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर से अधिक न हो। यदि क्षेत्र 4 हैक्टेयर से अधिक है तो हर 4 हैक्टेयर के लिए अतिरिक्त सैम्पलों को निकाला जाए।
- सैम्पलिंग के लिए चयनित क्षेत्र/ खण्ड/ प्लॉट की एक ही अपेक्षित तिथि और कीटनाशक अनुप्रयोगों की अनुसूची होनी चाहिए। यदि उपरोक्त ऐसी नहीं हैं तो खण्ड के प्रत्येक रूपांतर से पृथक सैम्पल लिया जाए। क्षेत्र एक भाग के रूप में माना जाएगा जो एक सैम्पल चयन करने लिए 4 हैक्टेयर से अधिक न हो।
- सैम्पलिंग के लिए चयनित प्रत्येक भाग/ क्षेत्र/ ब्लॉक/ प्लॉट के लिए पृथक संलग्नक-2, संलग्न- 4(क), 4(ख) और संलग्नक-8 को प्राप्त किया जाए।
- निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर क्षेत्र को निर्धारित किया जाएगा:

मान लें कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 15 फीट है और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 फीट है। एक पौधे द्वारा कुल ग्रहण किया गया क्षेत्र है = 150 वर्ग फीट  
एक प्लॉट का क्षेत्र (4 हैक्टेयर  $\cong$  40,000 वर्ग फीट है जो 4,43,556 वर्ग फीट के बराबर है  
एक प्लॉट (4 हैक्टेयर) में पौधों की कुल संख्या =  $4,43,556/150 = 2,960$  पौधे (लगभग)  
अतः, एक प्लॉट (चार हैक्टेयर) पर 2,960 पौधे होते हैं जो 10 फीट दूरी से 15 फीट की दूरी पर होते हैं।


#### 4. सैम्पल का चयन

एकत्रित सैम्पल, चयनित भाग/ खण्ड/ क्षेत्र/ प्लॉट में सबसे अधिक प्रतिनिधिक हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि

- सैम्पलिंग के लिए सबसे छोटी इकाई एक फल हो, न कि फल का एक भाग हो।
- सैम्पलिंग के लिए चयनित फल का आकार खण्ड में उपलब्ध निर्यात ग्रेड फलों से हो। छोटे आकार और बहुत बड़े फलों की सैम्पलिंग को वर्जित किया गया हो।
- चंदवा में रखे गए फलों, या विनाशकारी कीट (थिप्स, माइली बग्स आदि) या बीमारी (बैकटीरियल ब्लाइट, धब्बे आदि) या कोई भी विकार (आदप द्रवदाह, चटके आदि) के संक्रमण वाले फलों की सैम्पलिंग को वर्जित किया गया हो।
- फलों के सैम्पल को इस उद्देश्य के लिए पूरे चयनित भाग से एकत्रित किया जाए।

चयनित भाग / क्षेत्र / ब्लॉक / प्लॉट को नीचे दिए गए आरेख के अनुसार 15 प्राथमिक सैम्पल स्पॉट में विभाजित किया जा सकता है और सैम्पलिंग के लिए प्रत्येक स्थान से लगभग 10-12 पौधों का चयन किया जा सकता है



- प्लॉट के समूह से 15 सैम्पल लिया जाए और प्रति प्लॉट एक सैम्पल लेना अनिवार्य हो।
- चयनित स्पॉट में 25 से 30 पौधे हों। इन पौधों से सैम्पलिंग के लिए यादृच्छिक तरीके से दो या तीन पौधों को चुना जाए। हालांकि, चयनित पौधे कम चंदवा, कम संख्या में फल वाला, कीटों से संक्रमित, भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त आदि रूप में असामान्य न हो।
- प्रत्येक चयनित पौधे से सैम्पलिंग के लिए दो से तीन फलों को हार्वेस्ट किया जाएगा। फलों को करतनी की सहायता से पेड़नकल पर गाँठ के ऊपर से काटा जाएगा। प्रत्येक स्पॉट से चयनित सैम्पल का कुल वज़न 350 ग्रा हो (4 से 5 फल) और उसे मौलिक सैम्पल कहा जाएगा।
- एक भाग से सभी मौलिक सैम्पलों को मिश्रित किया जाएगा और उन्हें बल्क सैम्पल कहा जाएगा। बल्क सैम्पल का आकार एक प्लॉट से न्यूनतम 9 कि.ग्रा. वज़न वाले 35-40 फलों का हो।
- प्रतिकूल सैम्पल को सैम्पल की जांच रिपोर्ट के जारी होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के लिए 90-95% संबंधित आर्द्रता के साथ  $0 \pm 1^{\circ}\text{C}$  डिग्री (या एन.आर.एल के दिशा-निर्देशों के आधार) पर कोल्ड स्टोरेज में तुरंत ही स्टोर किया जाए।
- तापमान और नमी की समय-समय पर रिकॉर्डिंग के लिए एक ठंडे कक्ष में डेटा लोगर स्थापित किया जाना चाहिए।
- यह प्रयोगशाला का उत्तरदायित्व है कि वह देखे कि जब तक विवाद की स्थिति में सैम्पल की आवश्यता न हो तब तक स्टोरेज सैम्पल की सील को अस्पृष्ट रखा जाए।

## 5. सैम्पल की पैकेजिंग और परिवहन

दो सैम्पलों को अंगूरों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए साफ एवं विशुद्ध नालीदार कार्डबोर्ड के डिब्बे में पृथक रूप से पैक किया जाए। डिब्बों को सेलोफेन टेप से सील किया जाए। सैम्पल स्लिप (संलग्नक-8) को पॉलिथीन कवर में रख उसे डिब्बे के अंदर रखा जाए। निम्नलिखित जानकारी के साथ डिब्बों के ऊपर लेबल लगाएं जाएं:

- अवशिष्ट नियंत्रण के लिए अंगूर सैम्पल
- सैम्पल स्लिप संख्या
- सैम्पलिंग की तिथि
- प्रयोगशाला के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

सील किए गए सैम्पल को सैम्पलिंग के 24 घंटे के अंदर प्रयोगशाला को प्रेषित कर दिया जाए।

**अंगूर के लिए सैम्पल स्लिप**  
**(किसानों/निर्यातकों द्वारा दिया जाए)**

पहला सैम्पल/ पुनः सैम्पल

सैम्पल स्लिप सं.

(अनुच्छेद 6.9 देखें; जो लागू न हों उन्हें चिन्हित करें)

सं.	पहला सैम्पल/ पुनः सैम्पल	सैम्पल स्लिप सं.
1)	किसान का नाम और पता	
2)	प्लॉट पंजीकरण सं. और मान्यता	
3)	सैम्पल किए गए प्लॉट का पता/ लोकेशन	
4)	फसल और किस्म	
5)	इस सैम्पल स्लिप द्वारा कवर किए गए प्लॉट का कुल क्षेत्र	
6)	इस सैम्पल स्लिप द्वारा कवर किए गए संलग्नक 5 (ख) के आधार पर कृषि/ बागवानी अधिकारी द्वारा घोषित संभावित उत्पादन (मैट्रिक टन में)	
7)	कीट एवं बीमारियों से संबंधित फसल की स्थिति	
8)	निकाले गए सैम्पल में फलों की संख्या (प्रति प्लॉट)	
9)	प्रयोगशाला सैम्पल (स्टोरेज सैम्पल सहित) में फलों की संख्या	
10)	खेत में निकाले गए सैम्पल की तिथि	
11)	क्या मृदा या जल की जांच की गई है (यदि लागू हो तो कृपया रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें)	
12)	ऐक हाउस पंजीकरण सं. और उसकी मान्यता (यदि लागू हो)	

संलग्नक-3 की प्रति संलग्न है।

तिथि: निर्यातक का हस्ताक्षर किसान का हस्ताक्षर

(निर्यातक का नाम)

(किसान का नाम)

- मैंने स्वयं अंगूर निर्यात के लिए प्रक्रिया के संलग्नक-7 में दी गई प्रक्रिया को अपना कर उपरोक्त प्लॉट से इस सैम्पल को निकाला है।
- यह सैम्पल उपरोक्त प्लॉट से लिया गया है जिसे \_\_\_\_\_ (किसान/निर्यातक का नाम) द्वारा निर्यात किए जाने के लिए अभीष्ट है और इसके लागू होने पर प्लॉट पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर एक पृष्ठांकन भी किया गया है।
- मैंने किसान से पंजीकरण प्रमाण-पत्र, संलग्नक-2 की एक प्रति और संलग्नक-4(ख) की मूल प्रति भी प्राप्त कर ली है।
- यह, इस प्रयोगशाला की एपीडा स्वीकृति वर्तमान तिथि से मान्य है।

तिथि:

हस्ताक्षर

स्थान:

नामित प्रयोगशाला के

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम

कार्यालयी पता:

तिथि: 24 सितंबर 2018

## वर्ष 2018-19 अंगूर सीजन के लिए विश्लेषण किए जाने वाले एग्रोकेमिकल्स की सूची

Sr. No.	Chemicals	Harmonized EU-MRL (mg/kg)
1.	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid)	0.06*
2.	2,4-D (sum of 2,4-D and its esters expressed as 2,4-D)	0.10
3.	4-bromo-2-chlorophenol (metabolite of Profenophos)	0.01*
4.	4-CPA (4 Chlorophenoxy acetic acid)	0.01*
5.	6-Benzyl adenine	0.01*
6.	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectinB1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a)	0.01*
7.	Acephate	0.01*
8.	Acetamiprid	0.50
9.	Alachlor	0.01*
10.	Aldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin)	0.01*
11.	Allelthrin and Bioallelthrin	0.01*
12.	Ametoctradin	6.00
13.	Atrazine	0.05*
14.	Azadirachtin	1.00
15.	Azoxystrobin	3.00
16.	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Benalaxyl-M (sum of isomers)	0.30
17.	Bendiocarb	0.01*
18.	Benomyl (see carbendazim)	0.30
19.	Bifenazate	0.70
20.	Bifenthrin	0.20
21.	Bitertanol	0.01*
22.	Boscalid	5.00
23.	Buprofezin	1.00
24.	Butachlor	0.01*
25.	Cadmium	0.05#
26.	Captafol	0.02*
27.	Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) (R) (A)	0.03*
28.	Carbaryl	0.01*
29.	Carbendazim (including Benomyl)	0.30
30.	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran) (R)	0.002*
31.	Carboxin	0.05*
32.	Cartap hydrochloride	0.01*
33.	Chlorantraniliprole	1.00
34.	Chlordane (cis & trans)	0.01*
35.	Chlorfenapyr	0.01*
36.	Chlorfenvinphos	0.01*

Sr. No.	Chemicals	Harmonized EU-MRL (mg/kg)
37.	Chlorfluazuron	0.01*
38.	Chlormequat (CCC)	0.05*
39.	Chlorothalonil	3.00
40.	Chlorpropham	0.01*
41.	Chlorpyrifos	0.01*
42.	Chlorpyrifos methyl	0.20
43.	Clothianidin	0.70
44.	Cyantraniliprole	1.50
45.	Cyazofamid	2.00
46.	Cyflumetofen	0.60
47.	Cyfluthrin (including other mixtures of constituent isomers sum of isomers)	0.30
48.	Cymoxanil	0.30
49.	Cypermethrin (including other mixtures of constituent isomers sum of isomers)	0.50
50.	Dazomet (Methylisothiocyanate resulting from the use of Dazomet and metam)	0.02*
51.	DDT (all isomers, sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	0.05*
52.	Deltamethrin	0.20
53.	Diafenthiuron	0.01*
54.	Diazinon	0.01*
55.	Dichlorvos	0.01*
56.	Dicofol (sum of p,p' and o,p' isomers)	0.02*
57.	Dieldrin (see Aldrin)	0.01*
58.	Difenoconazole	3.00
59.	Diflubenzuron	1.00
60.	Dimethoate (Including Omethoate)	0.02*
61.	Dimethomorph	3.00
62.	Dinocap (sum of dinocap isomers and their corresponding phenols expressed as dinocap) (F)	0.02*
63.	Dinotefuran	0.90
64.	Diquat	0.01*
65.	Dithianon	3.00
66.	Dithiocarbamates (Mancozeb, Maneb, Propineb, Metiram, Thiram, Zineb and Ziram collectively estimated as CS2)	5.00
67.	Diuron	0.01*
68.	Dodine	0.01*
69.	Edifenphos	0.01*
70.	Emamectin Benzoate	0.05
71.	Endosulphan (All isomers, sum of <i>alpha</i> - and <i>beta</i> -isomers and endosulphan sulphate expressed as endosulphan)	0.05*
72.	Endrin	0.01*
73.	Epoxiconazole	0.05
74.	Etephon	1.00
75.	Ethion	0.01*
76.	Ethiprole	0.01*
77.	Ethofenprox (Etofenprox)	5.00

Sr. No.	Chemicals	Harmonized EU-MRL (mg/kg)
78.	Etoxazole	0.50
79.	Etrimfos	0.01*
80.	Famoxadone	2.00
81.	Fenamidone	0.60
82.	Fenarimol	0.30
83.	Fenazaquin	0.20
84.	Fenhexamid (F)	15.00
85.	Fenitrothion	0.01*
86.	Fenobucarb	0.01*
87.	Fenpropathrin	0.01*
88.	Fenpyroximate	0.30
89.	Fenthion (fenthion and its oxygen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent)	0.01*
90.	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) (F) (R)	0.30
91.	Fipronil (sum of fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil)	0.005*
92.	Flonicamid (sum of flonicamid, TNFG and TNFA) (R)	0.03*
93.	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)	0.01
94.	Flubendiamide	2.00
95.	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent)	0.05*
96.	Flufenoxuron	1.00
97.	Flufenazine	0.02*
98.	Fluopicolide	2.00
99.	Fluopyram	1.50
100.	Flusilazole	0.01*
101.	Fluxapyroxad	3.00
102.	Forchlorfenuron (CPPU)	0.01*
103.	Fosetyl-Al (sum fosetyl + phosphorous acid and their salts, expressed as fosetyl)	100
104.	Glufosinate-ammonium (sum of glufosinate, its salts, MPP and NAG expressed as glufosinate equivalents)	0.15
105.	Glyphosate	0.50
106.	HCH (sum of isomers, except the <i>gamma</i> isomer)	0.01*
107.	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	0.01*
108.	Hexaconazole	0.01*
109.	Hexythiazox	1.00
110.	Homobrassinolide	0.01*†
111.	Hydrogen cyanamide (Cyanamide including salts expressed as cyanamide)	0.01*
112.	Imidacloprid	1.00
113.	Indoxacarb (sum of R and S isomers)	2.00
114.	Iodosulfuron-methyl (idosulfuron-methyl including salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	0.01*
115.	Iprobenphos	0.01*

Sr. No.	Chemicals	Harmonized EU-MRL (mg/kg)
116.	Iprodione	20.0
117.	Iprovalicarb	2.00
118.	Isoprothiolane	0.01*
119.	Isoproturon	0.01*
120.	Kresoxim methyl	1.00
121.	Lambda-cyhalothrin	0.20
122.	Lead	0.10
123.	Lindane ( <i>gamma</i> -HCH)	0.01*
124.	Linuron	0.05*
125.	Lufenuron	1.00
126.	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)	0.02*
127.	Mandipropamid	2.00
128.	Mepiquat	0.02
129.	Meptyldinocap (sum of 2,4 DNOPC and 2,4 DNOP expressed as meptyldinocap)	1.00
130.	Metalaxyl & Metalaxyl-M	2.00
131.	Methamidophos	0.01*
132.	Methomyl and Thiodicarb (sum of methomyl and thiodicarb expressed as methomyl)	0.01*
133.	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))	0.05*
134.	Metrafenone	7.00
135.	Metribuzin	0.10*
136.	Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin)	0.02*
137.	Monocrotophos	0.01*
138.	Myclobutanil	1.00
139.	Nitenpyram	0.01*
140.	Nereistoxin	0.01*
141.	Novaluron	0.01*
142.	Omethoate (refer to Dimethoate)	0.02*
143.	Oxadiazon	0.05*
144.	Oxycarboxin	0.01*
145.	Oxydemeton- methyl (sum of oxydemeton methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton methyl)	0.01*
146.	Oxyfluorfen	0.10
147.	Paclobutrazol	0.05
148.	Paraquat	0.02*
149.	Parathion methyl (sum of Parathion methyl and paraoxon methyl expressed as Parathion methyl)	0.01*
150.	Parathion ethyl	0.05*
151.	Penconazole	0.20
152.	Pencycuron	0.05*
153.	Pendimethalin	0.05*
154.	Permethrin (sum of isomers)	0.05*
155.	Phentoate	0.01*

Sr. No.	Chemicals	Harmonized EU-MRL (mg/kg)
156.	Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)	0.01*
157.	Phosalone	0.01*
158.	Phosphamidon	0.01*
159.	Picoxystrobin	0.01*
160.	Pirimiphos-methyl	0.01*
161.	Profenophos	0.01*
162.	Propamocarb (sum of propamocarb and its salt expressed as propamocarb)	0.01*
163.	Propanil	0.01*
164.	Propargite	0.01*
165.	Propetamphos	0.01*
166.	Propiconazole	0.30
167.	Propoxur	0.05*
168.	Pymetrozine	0.02
169.	Pyraclostrobin	1.00
170.	Pyridaben	0.50
171.	Pyriproxyfen	0.05*
172.	Quinalphos	0.01*
173.	Simazine	0.20
174.	Spinetoram	0.50
175.	Spinosad (sum of Spinosyn A+D)	0.50
176.	Spirodiclofen	2.00
177.	Spiromesifen	0.02*
178.	Spirotetramat and its 4 metabolites BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, and BYI08330 enol-glucoside, expressed as spirotetramat (R)	2.00
179.	<i>tau</i> -Fluvalinate	1.00
180.	Tebuconazole	0.50
181.	Temephos	0.01*
182.	Tetraconazole	0.50
183.	Thiabendazole	0.05
184.	Thiacloprid	0.01*
185.	Thiamethoxam	0.40
186.	Thiobencarb	0.01*
187.	Thiodicarb (see Methomyl)	0.01*
188.	Thiometon	0.01*
189.	Thiocyclam	0.01*
190.	Thiophanate-methyl	0.10*
191.	Tolfenpyrad	0.01*
192.	Transfluthrin	0.01*
193.	Triadimefon (sum of triadimefon and triadimenol)	2.00
194.	Triazophos	0.01*
195.	Trichlorfon	0.01*
196.	Tricyclazole	0.01*
197.	Tridemorph	0.01*
198.	Trifloxystrobin	3.00

Sr. No.	Chemicals	Harmonized EU-MRL (mg/kg )
199.	Trifluralin	0.01*
200.	Uracil	1.00†

टिप्पणी:

\* [http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection)

के अनुसार LOQ (मि.ग्रा/कि.ग्रा) पर ई.यू-एम.आर.एल को निश्चित किया गया है।

† यह प्राकृतिक उत्पाद हैं। इन रसायनों के लिए ई.यू-एम.आर.एल मौजूद नहीं हैं।

अतः, उनके एम.आर.एल को अंगूरों के लिए एन.आर.सी की राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला पर विकसित और विधिमान्य प्रणाली के LOQ पर निश्चित किया गया है।

#संदर्भ: 19 दिसंबर, 2006 का आयोग अधिनियम (ई.सी) सं. 1881/2006

## संलग्नक-10 इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

### अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र (प्राधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किया जाएगा)

- 1) किसान का नाम और पता
- 2) निर्यातक का नाम और पता
- 3) फार्म/प्लॉट पंजीकरण संख्या
- 4) फार्म/प्लॉट की लोकेशन
- 5) इस रिपोर्ट के द्वारा कवर किया गया फार्म/प्लॉट का क्षेत्र
- 6) इस रिपोर्ट [संलग्नक-3 (क्षेत्र उद्देश्य के लिए) और संलग्नक-4 (ख) के आधार पर आकलन] द्वारा कवर किए गए फार्म/प्लॉट का कुल संभावित उत्पादन [मीट्रिक टन में]
- 7) फसल का नाम और किस्म
- 8) सैम्पल विवरण
  - (क) सैम्पल के निकाले जाने का स्थान और तिथि
  - (ख) सैम्पल की मात्रा
  - (ग) पैकिंग
  - (घ) सैम्पल कोड सं.
- 9) प्राधिकृत प्रयोगशाला के उस प्रतिनिधि का नाम जिसने सैम्पल को निकाला है
- 10) सैम्पल निकालने की तिथि
- 11) प्रयोगशाला में सैम्पल की प्राप्ति की तिथि
- 12) विश्लेषण समाप्त होने की तिथि
- 13) पैकहाउस पंजीकरण संख्या और उसकी वैधता (यदि लागू हो)

क्र.सं.	रसायनों का नाम	ई.यू.एम.आर.एल (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	अवशिष्ट तत्व (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	निर्धारण की सीमा (एल.ओ.डी) (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	विश्लेषण की पद्धति	विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

### प्रमाण-पत्र

- 1) यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकरण सं. \_\_\_\_\_ के फार्म से हमारे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सैम्पल लिया गया था और इसे हमने विश्लेषण किया है। सैम्पल को उपरोक्त वर्णित रसायनों के अवशिष्टों के लिए जांच किया गया था और सैम्पल में अवशिष्ट पदार्थ उपरोक्त दी गई तालिका 4 में दिए गए हैं।
- 2) इस प्रयोगशाला की एपीडा मान्यता वर्तमान तिथि के अनुसार मान्य है।

परिणामः सैम्पत्, उपरोक्त सूचीबद्ध रसायनों के संबंध में/ असंबंध में एम.आर.एल आवश्यकताओं के अनुरूप है(जो लागू है उसे चिन्हित करें)।

दिनांक:

मुहर के साथ अधिकृत प्रयोगशाला अधिकृत  
हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

स्थानः

## अंगूर निर्यात के लिए सी.ए और एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु दिशा-निर्देश

एगमार्क के अंतर्गत फलों और सब्जियों के एगमार्क प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के पास फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग हेतु ॲथ्राइज़ेशन प्रमाण-पत्र (सी.ए) होना आवश्यक है। फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग एवं विषयन नियम, 2004 में निहित प्रावधान लागू होंगे।

### I. सी.ए अनुदान हेतु प्रक्रिया

1. एगमार्क के अंतर्गत फलों और सब्जियों के एगमार्क प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रोफॉर्मा - I में निर्धारित विषयन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई) के संबंधित कार्यालय में आवेदन किया जाए।
  2. संलग्नक-क में निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।
  3. आवेदन के साथ सी.ए प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1000/- रुपए के मांग ड्रॉफ्ट को संलग्न किया जाए।
  4. सी.ए के अनुदान के लिए आवेदक का अपना परिसर (उसके द्वारा खरीदा गया या किराए पर लिया गया) हो सकता है। वह ए.पी.सी पैकहाउस, निजी/कूप पैकहाउस आदि की सामन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। संलग्नक-ख में परिसर की न्यूनतम आवश्यकताएं दी गई हैं। आवेदन के साथ इस प्रकार की व्यवस्था का विवरण दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विवरण एपीडा द्वारा अनुमोदित पैकहाउसों द्वारा नहीं दिया जाएगा।
  5. डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय द्वारा दास्तावेजों को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रस्तावित परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा और पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर सी.ए अनुदान किया जाएगा। एपीडा अनुमोदित पैकहाउस की स्थिति में परिसरों के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की स्थितियों में पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सी.ए अनुदान जारी कर दिया जाएगा।
  6. प्रत्येक कंटेनर पर ग्रेड डेसिग्नेशन मार्क (एगमार्क अधिचिन्ह) सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाए। निर्यात में प्रत्येक कंटेनर की गणना की जाती है इसीलिए प्रत्येक कंटेनर पर प्रतिकृति सीरियल नंबर होना आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि एगमार्क अधिचिन्ह को निदेशालय द्वारा मंजूरी दिए गए प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित किया गया हो।
- II. यूरोपीय संघ के देशों से अंगूरों के निर्यात के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) प्राप्त करने की प्रक्रिया।
    1. सी.ए धारक द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा (संलग्नक-ग) में अंगूरों के लॉट हेतु सी.ए.जी के अनुदान के लिए डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय को सूचना के अंतर्गत अनुमोदित किसी प्रयोगशाला में से एक को

कंसाइनमेंट का विवरण देते हुए आवेदन किया जाए। संलग्नक (i) और संलग्नक (ii) में क्रमशः डी.एम.आई और अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची दी गई है।

2. सी.ए धारक द्वारा प्रति कंसाइन्टमेंट न्यूनतम 200/- रुपए के अधीन एफ.ओ.बी का 0.1% प्रयोगशाला देय को ग्रेडिंग शुल्क के लिए मांग ड्राफ्ट भेजा जाए। एफ.ओ.बी मूल्य 93.20 प्रति कि.ग्रा निर्धारित की गई है। प्रयोगशाला द्वारा हर दो सप्ताह में डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय को ग्रेडिंग शुल्क भेजा जाएगा। ऐसा न करने पर एक बार चेतावनी देने के पश्चात संबंधित प्रयोगशाला के लिए सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
3. सी.ए धारक द्वारा अनुमोदित परिसरों में निरीक्षण के लिए लॉट प्रस्तुत किए जाएंगे। कंसाइन्टमेंट को उपयुक्त पैकिंग बॉक्स में पैक किया जाएगा। अनुमोदित परिसर की ग्रेडिंग और छँटाई लाइन पर भी निरीक्षण किया जा सकता है।
4. सी.ए धारक द्वारा हवाई अड्डे/ बंदरगाह पर निरीक्षण और ग्रेडिंग के लिए लॉट प्रस्तुत किया जा सकता है। लॉट का आकार 5 मीट्रिक टन वज़न से अधिक न हो।
5. अनुमोदित प्रयोगशाला के अनुमोदित केमिस्ट द्वारा सैम्पलिंग योजना (संलग्नक-घ) के अनुसार सैम्पल निकाला जाए। उसके द्वारा सैम्पलिंग के लिए चयनित कंटेनरों पर हस्ताक्षर किए जाए।
6. अनुमोदित केमिस्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सैम्पल का ग्रेड किया जाए और उपयुक्त ग्रेड प्रदान किया जाए। उसके द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्नक-ड) में निरीक्षण रिपोर्ट भरी जाए।
7. निरीक्षण अधिकारी द्वारा कोल्ड स्टोर में निरीक्षण के बाद कंसाइन्टमेंट को सील कर दिया जाए। कोल्ड स्टोर में अंगूरों का तापमान 5-10 डिग्री हो और कोल्ड स्टोर में 90-95% की सीमा की सापेक्ष आर्द्रता हो।
8. डी.एम.आई निरीक्षण अधिकारी अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा की गई ग्रेडिंग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उनके द्वारा इन औचक निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट भरी जाएंगी। डी.एम.आई के निरीक्षण अधिकारियों का निर्णय अंतिम माना जाएगा। किसी विवाद की स्थिति में सी.ए धारक द्वारा इस मामले को विवाद निपटान समिति के पास भेजा जा सकता है।
9. अनुमोदित प्रयोगशाला के नामित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में सी.ए.जी जारी किया जाएगा। सी.ए.जी को इलैक्ट्रॉनिक रूप में सी.ए धारक, डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय और पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण को भेजा जाएगा।
10. सी.ए.जी जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक मान्य होगा। मान्य कारणों से शिपमेंट के 15 दिनों से अधिक देरी होने की स्थिति में सी.ए धारक के अनुरोध पर सी.ए.जी को पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए संबंधित प्रयोगशाला द्वारा पुनः जांच की जाएगी कि क्या कंसाइन्टमेंट व्यापार की स्थिति में है और उसकी गुणवत्ता में कोई गिरावट तो नहीं हुई है।

प्रोफार्मा - ।

निर्यात ग्रेडिंग हेतु \_\_\_\_\_ (कमोडिटी का नाम) की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए ऑथराइज़ेशन प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु आवेदन

सेवा मैं,

निदेशक कृषि विषयन परामर्शदाता/  
सहायक कृषि विषयन परामर्शदाता/  
कनिष्ठ विषयन अधिकारी  
विषयन एवं निरीक्षण निदेशालय  
\_\_\_\_\_ (शहर का नाम)

महोदय/ महोदया,

मैं/ हम \_\_\_\_\_ मै. \_\_\_\_\_ को कृषि उत्पादन (ग्रेडिंग और अंकन) अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ग्रेड डेज़िग्नेशन चिह्न के साथ \_\_\_\_\_ (कमोडिटी का नाम) को प्राधिकरण प्रमाण पत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने का/की इच्छुक हूँ/हैं।

मैंने/ हमने ए.पी (जी एंड एम) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों, सामान्य ग्रेडिंग और अंकन नियम 1988, उचित कमोडिटी ग्रेडिंग और अंकन नियमों तथा भारत सरकार के कृषि विषयन सलाहकार या इस कमोडिटी की ग्रेडिंग और अंकन के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा हम इनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

आवश्यक विवरण निर्धारित प्रोफार्मा मैं दिए गए हैं और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:

पद:

दिनांक:

मै. \_\_\_\_\_ के लिए

पावती

मै. \_\_\_\_\_ के निर्यात ग्रेडिंग हेतु एगमार्क के अंतर्गत \_\_\_\_\_ के ग्रेडिंग और अंकन प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए \_\_\_\_\_ रूपए हेतु दिनांक \_\_\_\_\_ की डी.डी.संख्या \_\_\_\_\_ को दिनांक \_\_\_\_\_ को प्राप्त किया गया है।

(हस्ताक्षर के साथ कार्यालय सील)

**अनुज्ञित प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन सहित  
प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण**

1. समुदाय का नाम और पूरा पता
2. वर्गीकृत होने के लिए प्रस्तावित वस्तुओं के नाम
3. फर्म अर्थात् स्वामित्व/ साझेदार/ प्राइवेट लिमिटेड/  
पब्लिक लिमिटेड/ पंजीकृत समिति/  
सार्वजनिक उपक्रम आदि की स्थिति  
(उचित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें)
4. जिस अवधि में आवेदक ने व्यवसाय किया है
5. फर्म के दो प्रतिनिधियों का नाम और पता जो  
ग्रेडिंग कार्य में भाग लेंगे और जो तथ्य में पत्र  
व्यवहार करेंगे  
(प्रतिरूप हस्ताक्षर को अलग से प्रस्तुत किया)
6. \*(क.) आर.बी.आई कोड (यदि कोई है),  
\*(ख.) आयात निर्यात कोड सं. (डी.जी.एफ.टी ट्वारा जारी)  
(ग.) कमोडिटी बोर्ड (एपीडा आदि) की सदस्यता (यदि कोई है)
7. एस.टी/सी.एस.टी (यदि आवंटित किया गया है)
8. उस परिसर का पूरा पता जहां ग्रेडिंग और अंकन किया जाएगा
9. उपरोक्त परिसर की स्थिति स्वामी  
(जो भी लागू नहीं है उस पर चिन्ह लगाएं)

\*10. संयंत्र/ परिसर में उपलब्ध मशीन/ पैकिंग मशीन/  
कोल्ड स्टोरेज आदि के साथ  
उनकी क्षमता का विवरण

क्र.सं.	मशीन का नाम	संख्या	क्षमता
---------	-------------	--------	--------

11. कमोडिटी की ग्रेडिंग से संबंधित अन्य कोई जानकारी

12. व्यापार का नाम (यदि कोई है)

(आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

पद

मै. के लिए

स्थानः

तिथिः

\* यह एपीडा मान्यता-प्राप्त पैक-हाउस की स्थिति में आवश्यक नहीं है।

**निर्यात ग्रेडिंग के लिए सी.ए के अनुदान हेतु आवेदन सहित  
प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची**

1. निर्धारित प्रोफॉर्मा-I में सी.ए के अनुदान के लिए आवेदन।
2. पत्र-बंध पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर।
- \*3. स्वामित्व घोषणा / भागीदारी पत्र / ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम / समाज के उप-कानून आदि की प्रति।
- \*4. फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सभी आयामों को दिखाते हुए परिसर के ब्लू प्रिंट या सुव्यवस्थित ढंग से खींचे गए स्केच।
5. पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित होगा कि विभिन्न संचालनों में उत्पादों की हैंडलिंग में संलग्न कर्मचारी किसी भी प्रकार के संक्रामक बीमारियों से मुक्त हैं।
- \*6. डी.जी.एफ.टी द्वारा जारी आयात निर्यात कोड संख्या की प्रति।
7. यदि एपीडा से पंजीकृत है तो एपीडा पंजीकरण की प्रति।

टिप्पणी: (क.) सभी दस्तावेजों की प्रतियों पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और स्टैम्प लगा हो।

(ख.) दस्तावेजों की तीन प्रतियां निदेशालय से संबंधित कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएं।

\* यह एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त पैक हाउस की स्थिति में लागू नहीं है।

फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग हेतु परिसरों में न्यूनतम आवश्यकताएं

1. परिसर साफ एवं स्वच्छ हों।
2. परिसरों के आस-पास के साफ-सफाई हो।
3. परिसर - चमड़े के कारखानों, रासायनिक संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों आदि के आस-पास स्थित न हों।
4. परिसर की दीवारों को ठीक से प्लास्टर किया जाए और दीवारों पर दरारें, छेद, नमी आदि नहीं होना चाहिए।  
छिद्रित छत उपयुक्त नहीं है।
5. परिसर - कीट, खटमल और कृतक रोधक हो।
6. परिसर - मकड़ी के जाले और मकड़ियों से मुक्त हो।
7. परिसर में उचित जल निकासी की व्यवस्था हो।
8. परिसरों में टी.एस.एस, शुगर-एसिड अनुपात का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध हो। संलग्नक-(iii) रसायनों, उपकरणों आदि की प्रारूपिक आवश्यकताएं दी गई हैं।
9. परिसर में बागवानी उत्पादों के कूड़े, सड़े हुए, अपशिष्ट के निष्कासन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

सेवा में,

(अनुमोदित प्रयोगशाला का नाम)

विषयः निर्यात हेतु अंगूर के कंसाइन्टमेंट के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) के अनुदान हेतु अनुरोध।

महोदय,

1. मेरे / हमारे पास निर्यात के लिए फल और सब्जियों की ग्रेडिंग और अंकन के लिए \_\_\_\_\_ तक मान्य अधिकृत प्रमाण पत्र संख्या \_\_\_\_\_ है।
2. मैं/हम \_\_\_\_\_ (गंतव्य स्थान) को अंगूर निर्यात करने के इच्छक हैं। कंसाइन्टमेंट का विवरण इस प्रकार है:

क) कीटनाशक अवशिष्ट के लिए प्रयोगशाला जांच विवरण।

प्रयोगशाला का नाम	फार्म पंजीकरण सं.	जांच रिपोर्ट सं.
-------------------	-------------------	------------------

ख) पैकिंग विवरण

कमोडिटी	डिब्बों की संख्या मात्रा (प्रत्येक डिब्बे में)	कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	एफ.ओ.बी मूल्य (रुपए में)
---------	---	--------------------------------	-----------------------------

3. मैं/हम आपकी अनुमोदित प्रयोगशाला के माध्यम से निरीक्षण एवं ग्रेडिंग करना चाहते हैं। उपरोक्त वर्णित कंसाइन्टमेंट का निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण किया जा सकता है।

या  
क) हमारे अनुमोदित परिसरों \_\_\_\_\_  
ख) हवाई अड्डा/ बंदरगाह \_\_\_\_\_

4. ग्रेडिंग शुल्क के लिए \_\_\_\_\_ का मांग ड्राफ्ट अलग से भेजा जाता है।

5. मैं/हम, \_\_\_\_\_ (गंतव्य स्थान) को निर्दिष्ट अंगूर के निर्यात को प्रभावित करने का प्रस्ताव करता हूँ और उपरोक्त उत्पाद (1) में निर्दिष्ट पैकहाउस में इन्हें मेरी निगरानी में प्रसंस्कृत और पैक किया गया है।

6. मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त निर्दिष्ट अंगूर \_\_\_\_\_ डिब्बों/कार्टूनों में भरें हैं और प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है कि अंगूर में गंतव्य के संबंध में एम.आर.एल से अधिक कीटनाशक अवशिष्ट नहीं हैं।

7. कृपया निवेदन है कि सी.ए.जी जारी किया जाए।

भवदीय,

तिथि: \_\_\_\_\_

(                  )

मैं \_\_\_\_\_ के लिए

टिप्पणी - डी.एम.आई की अनुमोदित प्रयोगशाला और संबंधित कार्यालय को ई-मेल किया जाए।

## सैम्पलिंग योजना

लॉट में  
कॉर्ट्रून की संख्या

सैम्पल किए जाने वाले कॉर्ट्रून की न्यूनतम संख्या

100 तक	5
101 से 300	7
301 से 500	9
501 से 1000	12
1001 से अधिक	कॉर्ट्रून का 1% (न्यूनतम 15)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के कार्यालयों की सूची

**महाराष्ट्र**

1. मुम्बई: Dy. A.M.A (उप ए.एम.ए)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,  
न्यू सी.जी.ओ, बिल्डिंग  
तीसरी मंजिल, न्यू मरीन लाइंस  
मुम्बई- 400020  
फोन नं. 022- 22036801(डाइरैक्ट), 22032699  
फैक्स नं. - 22091103  
ई-मेल - [dmiromah@nic.in](mailto:dmiromah@nic.in)

2. नासिक: श्री पी. पब्बंवार

विपणन अधिकारी  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,  
न्यू कमल निवास,  
होटल वास्को टूरिस्ट के पीछे  
नासिक रोड - 422101  
फोन नं: - 0253-2465437  
फैक्स नं. - नहीं है  
ई-मेल - [dmimh05@nic.in](mailto:dmimh05@nic.in)

3. सांगली: श्री शिव कुमार,

विपणन अधिकारी  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,  
ए.पी.एम.सी सेवा गृह  
मार्केट यार्ड,  
सांगली  
फोन नं. - 0233-2670629  
फैक्स नं. - नहीं है  
ई-मेल - [dmimh04@nic.in](mailto:dmimh04@nic.in)

4. पुणे: \_\_\_\_\_

विपणन अधिकारी  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,  
ग्रेडर्स ट्रेनिंग सेंटर,

बीज भवन, मार्केट यार्ड,  
पुणे- 411007  
फोन नं.: - 020-24268598  
फैक्स नं. - नहीं है  
ई-मेल - [dmimh07@nic.in](mailto:dmimh07@nic.in)

### आंध्र प्रदेश

1. हैदराबाद: डॉ. आर.आर. करपाटे  
उप कृषि विपणन परामर्शदाता  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,  
केंद्रीय सदन,  
ब्लॉक-1, सुल्तान बाज़ार,  
हैदराबाद,  
फोन नं.: - 040- 24657446  
फैक्स नं. - 040-24731636  
ई-मेल - [dmihyd@ap.nic.in](mailto:dmihyd@ap.nic.in)

### कर्नाटक

1. बैंगलुरु: डॉ. गोविंदा रेड्डी  
सहायक कृषि विपणन परामर्शदाता  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,  
ए.पी.एम.सी मार्केट यार्ड,  
एम.जी कॉम्प्लैक्स, यशवंत पुर,  
बैंगलुरु- 560022  
फोन नं.: - 080-23472924  
फैक्स नं. - 080-23473004  
ई-मेल - [bngdmi@kar.nic.in](mailto:bngdmi@kar.nic.in)  
- [dmimh05@nic.in](mailto:dmimh05@nic.in)

निर्यात हेतु फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग एवं मार्किंग के लिए डॉ.एम.आई द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
01	कीटनाशक अवशिष्ट विश्लेषण प्रयोगशाला राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एन.एच.आर.डी.एफ) पी.बी. नं. 61, कनाड़ा बत्ता भवन, 2954-ई, न्यू मुम्बई आगरा रोड, नासिक -422011
02	रिलाएबल एनालेटिकल लैबरोट्री प्राइवेट लिमिटेड मनकोली नाका, झिवंडी ठाणे-421302
03	विमता लैब्स लिमिटेड, प्लॉट नं.5, एस.पी बायो-टेक पार्क, जीनोम वैली, शमीरपेत(एम), हैदराबाद-500078
04	एस.जी.एस इंडिया लिमिटेड, 1/509 ए, ओल्ड महाबलिपुरम रोड, गवर्नरमेंट हाई स्कूल के सामने, थोराइपक्कम, चेन्नई-600085
05	श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च प्लॉट 14 से 15, सदरमंगला इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाइट फील्ड रोड, बैंगलुरु-560048
06	इंटरफ़िल्ड लैबरोट्रीज, XIII/1208ए, इंटरप्रिंट हाउस, कोच्चि-682005
07	डेली टेस्ट हाउस, ए-62/3, जी.टी. करनाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हंस सिनेमा के सामने, आज़ाद पुर, दिल्ली-110033
08	मै. एब्रो फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 4/9, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली - 110015
09	मै. नेशनल कोलेटरल मनेजमेंट सर्विसिज़ लिमिटेड, डी.न.4-7-18/6बी, राघवेंद्र नगर, नाचाराम, हैदराबाद-500076
10	जीयो-केम लैब प्राइवेट लिमिटेड,

	36, राजा इंडस्ट्रियल एस्टेट, पहली मंजिल, पुरुषोत्तम खेराज मार्ग, मुळुंद (परिचम), मुम्बई-400080
11	माइक्रोकेम लैबोरेटोरी प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रिकेम हाउस, ए-513, टी.टी.सी इंडस्ट्रियल एरिया एम.आई.डी.सी, महापे नवी मुम्बई-400701
12	मै. टी.यू.वी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 814, डेमेच हाउस, दूसरी मंजिल, लॉ कॉलेज रोड, पुणे-411004

**अंगूर में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ और चीनी / अम्ल अनुपात के मूल्यांकन के लिए आवश्यक रसायन, उपकरण  
आदि**

1. अंगूर से जूस प्राप्त करने के लिए	(क) मुस्लिन क्लॉथ (ख) सुविधाजनक बंडार (ग) उपयुक्त जूस प्रेस
2. कुल घुलनशील ठोस पदार्थों का निर्धारण	(क) एक कैलिब्रेटेड रेफ्रेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर एक प्रतिशत के दसियों में कैलिब्रेटेड और 200 सेल्सियस पर मानकीकृत उपयुक्त सीमा के एक ब्रिक्स  (ख) 00 से 50 डिग्री सेल्सियस का थर्मोमीटर
3. एसिड सामग्री का निर्धारण	(क) 20 मि.ली पिपेट (ख) 50 मि.ली व्यूरेट (ग) 250 मि.ली कोनिकल फ्लॉस्क (घ) सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फेनोल्फथेलिन, सोडियम कार्बोनेट, आसुत जल आदि को संग्रहीत करने के लिए लेबल वाली उपयुक्त बोतलें (ङ) A.R. (250 ग्राम) 0.1333 N सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड (च) सल्फ्यूरिक एसिड - 0.1333 N घोल बनाने के लिए sp. gr. 1.84 - A.R. 98% pure (500 मि.ली) (छ) एथिल अल्कोहल में फेनोल्फथेलिन, 0.4% (न्यूनतम आकार पैक) (ज) सोडियम कार्बोनेट 0.1 N (1 लीटर मानक सॉल्यूशन) (झ) आसुत जल

## अंगूर हेतु निरीक्षण रिपोर्ट

1. कमोडिटी का नाम: \_\_\_\_\_
2. अनुमोदित पैकर का नाम: \_\_\_\_\_
3. पैक हाउस का पता: \_\_\_\_\_
4. लॉट/ट/बैच नं.: \_\_\_\_\_ 5. शिपिंग चिन्ह (यदि हो): \_\_\_\_\_
6. डिब्बों की संख्या  प्रत्येक डिब्बे में मात्रा =  कुल मात्रा

मात्रा पैमाने

7. सफाई: \_\_\_\_\_ 8. मजबूती \_\_\_\_\_ 9. बाह्य पदार्थ \_\_\_\_\_
10. कीट: \_\_\_\_\_ 11. सामान्य प्रकटन \_\_\_\_\_
12. कीट या बीमारी के कारण होने वाली क्षति \_\_\_\_\_
13. असामान्य बाहरी नमी: \_\_\_\_\_
14. बाट्य गंध/स्वाद: \_\_\_\_\_
15. उच्च/ निम्न तापमान के कारण होने वाली क्षति \_\_\_\_\_
16. सांचों के दर्शनीय निशान: \_\_\_\_\_
17. एरिल की स्थिति: \_\_\_\_\_
18. एरिल का माप: \_\_\_\_\_
19. कुल घुलनशील पदार्थ: \_\_\_\_\_
20. चीनी// एसिड अनुपात: \_\_\_\_\_
21. आकार में अभाव: \_\_\_\_\_
22. रंग में अभाव: \_\_\_\_\_
23. धूप से शुष्क हुई परत में अभाव: \_\_\_\_\_
24. धब्बा: \_\_\_\_\_
25. परत में आभाव: \_\_\_\_\_
26. आकार (ग्राम में वज़न): \_\_\_\_\_
27. ग्रेड सहिष्णुता प्रतिशत: \_\_\_\_\_
28. टिप्पणी (यदि हो): \_\_\_\_\_
29. निर्दिष्ट ग्रेड: \_\_\_\_\_

एग्मार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अनुशंसित/गैर अनुशंसित

(हस्ताक्षर)

अनुमोदित कैमिस्ट और प्रयोगशाला का नाम

तिथि: \_\_\_\_\_

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
**(Department of Agriculture and Co-operation)**  
**New Delhi, the 14th June, 2004**

G.S.R 220. - Whereas the draft of the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2003 were published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 2065 - 2132 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub section (i) dated 20.9.03 vide GSR 335, dated 3rd September, 2003 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 21st September, 2003;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in super session, of (1) the Pomegranates Grading and Marking Rules, 1937, (2) the Plums Grading and Marking Rules, 1938, (3) the Onion Grading and Marking Rules, 1964, (4) the Banana Grading and Marking Rules, 1980, (5) the Mangoes Grading and Marking Rules, 1981, (6) the Pineapple Grading and Marking Rules, 1982, (7) the Guavas Grading and Marking Rules, 1996 and (8) the Garlic Grading and Marking Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules namely

## RULES

### 1. Short title, application and commencement:-

- (i) These rules may be called the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2004.
- (ii) They shall apply to commercial varieties of Fruits and Vegetables.
- (iii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

### 2. Definitions:-

- i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

- (ii) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorization to grade and mark Fruits and Vegetables in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;
- (iii) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Fruits and Vegetables with the grade designation mark;
- (iv) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) ;
- (v) "Grade designation" means a designation prescribed as indicative of the quality of fruits and vegetables;
- (vi) "Grade designation mark" means the "Agmark Insignia" referred to in Rule 3;
- (vii) "Schedule" means a Schedule appended to these Rules.

3. Grade designation mark - The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorization number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule - I.

4. Grade Designation and Quality - The grade designation and quality of Fruits and Vegetables shall be as set out in schedules II to XIX.

5. Method of Packing:-

- (i) Fruits and Vegetables shall be packed in such a way as to protect the produce properly.
- (ii) The materials used inside the package must be new, clean and of a quality such as to avoid causing any external or internal damage to the produce.
- (iii) The use of materials particularly of paper or stamps bearing trade specifications is permitted provided the printing or labelling has been done with non toxic ink or glue.
- (iv) Fruits and Vegetables shall be packed in each container in compliance with the Recommended International Code of Practice for Packaging and Transport of Tropical Fresh Fruit

and Vegetables (CAC/RCP 44-1995) for export and as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time for domestic market.

(v) The containers shall meet the quality, hygiene, ventilation and resistance characteristics to ensure suitable handling, shipping and preserving of the Fruits and Vegetables. Packages must be free of harmful foreign matter and obnoxious smell.

(vi) Content of each package or lot must be uniform and contain only Fruits and Vegetables of same origin, variety and grade designation.

(vii) The visible part of the contents of the package (if present) must be representative of the entire content.

(viii) Contents of package may have different fruits and vegetables of different varieties/grades as per buyer requirements with proper labelling.

## 6. Method of Marking and Labelling:-

(i) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf.

(ii) Following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package namely:-

(a) Name of the commodity;

(b) Variety;

(c) Grade designation;

(a) Name of the commodity;

(b) Variety;

(c) Grade designation;

(d) Size code (if prescribed);

(e) Lot/batch/code number;

(f) Country of origin;

(g) Net weight/No. of units;

(h) Name and address of the packer/exporter;

(i) Best before date (where applicable);

(j) Storage conditions, if any;

- (k) Date of packing;
  - (l) Such other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser.
- (iii) The ink used for marking on packages shall be of such quality which may not contaminate the product.
- (iv) The authorized packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.
7. Fruits and Vegetables may be graded and marked as per buyer requirements for exports provided the minimum requirements specified in the relevant Schedule are met.
8. For domestic trade, Fruits and Vegetables shall comply with the residue levels of heavy metals, pesticides, aflatoxin and other food safety parameters as specified in Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.
9. Special conditions of certificate of authorization - In addition to the conditions specified under sub-rule (8) of the Rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, every authorized packer shall follow all instructions prescribed by Agricultural Marketing Adviser from time to time

#### **SCHEDULE - I**

**(See rule 3)**

#### **Design of Agmark Insignia)**



NAME OF COMMODITY ----- GRADE

-----

#### **GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF TABLE GRAPES**

1. Table Grapes shall be fruits obtained from varieties (cultivars) of *Vitis vinifera L.*
2. **Minimum requirements:-**
  - (i) Bunches and berries of Table grapes shall be:

- (a) clean, sound, free of any visible foreign matter;
  - (b) free of pests, affecting the general appearance of the produce;
  - (c) free of damage caused by pests or diseases;
  - (d) free of abnormal external moisture;
  - (e) free of any foreign smell and/or taste;
  - (f) free of all visible traces of moulds;
  - (g) free of damage caused by high or low temperature;
- (ii) Berries shall be intact, well formed and normally developed;
  - (iii) Table Grapes shall comply with the residue levels of heavy metals and pesticides as laid down by the Codex Alimentarius Commission for Exports.
  - (iv) Table grapes shall have minimum soluble solids of 16 degrees Brix.
  - (v) Table grapes shall have minimum sugar/acid ratio of 20:1.

---

<sup>1</sup> Pigmentation due to Sun is not a defect.

### 3. Criteria for grade designation :

Grade designation	Grade requirements	Provisions concerning sizing	Grade tolerances
1	2	3	4
Extra class	Grapes must be of superior quality. The bunches must be typical of variety in shape, development and colouring and have no defects. Berries must be firm, firmly attached to the stalk, evenly spaced along the stalk and have their bloom virtually intact.	As per table 'A'	5% by weight of bunches not satisfying the requirements for the grade, but meeting those of class I grade or exceptionally coming within the tolerances of that grade.
Class I	Grapes must be of good quality. The bunches must be typical, of variety in shape, development and colouring. Berries must be firm, firmly attached to the stalk and, as far as possible, have their bloom intact. They may, however, be less evenly spaced along the stalk than in the extra class. Following slight defects may be there, provided these do not affect the general appearance of the produce and keeping quality of the package. <ul style="list-style-type: none"> <li>• a slight defect in shape,</li> <li>• a slight defect in colouring,</li> </ul>	-do-	10% by weight of bunches not satisfying the requirements for the grade, but meeting those of class II grade or exceptionally coming within the tolerances of that grade.
Class II	The bunches may show defects in shape, development and colouring provided these do not impair the essential characteristics of the variety. The berries must be sufficiently firm and sufficiently attached. They may be less evenly spaced along the stalk than Class I grade. Following defects may be there, provided these do not affect the general appearance of the produce and keeping quality of the package. <ul style="list-style-type: none"> <li>• defects in shape,</li> <li>• defects in colouring,</li> <li>• slight Sun scorch affecting the</li> </ul>	-do-	10% by weight of bunches not satisfying the requirements of the grade but meeting the minimum requirements.

	skin only, <ul style="list-style-type: none"> <li>• slight bruising,</li> <li>• slight skin defects.</li> </ul>		
--	--	--	--

**4. Other requirements:**

- (i) Grapes must have been carefully picked and have reached an appropriate degree of development and ripeness in accordance with criteria proper to the variety and/or commercial type and to the area in which they are grown. The development and condition of the Grapes must be such as to enable them;
  - to withstand transport and handling, and
  - to arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (ii) Consumer packages of net weight not exceeding one kg. may contain mixtures of table grapes of different varieties, provided these meet all other requirements of that grade.

**TABLE ‘A’**

**PROVISIONS CONCERNING SIZING**

Size is determined by the weight of bunches (in gms). The following minimum (in gms.) requirements per bunch are laid down for large and small berries grapes.

Grade	Large berries	Small berries
Extra Class	200	150
Class I	150	100
Class II	100	75

For packages not exceeding one kg. net weight, one bunch weighing less than 150 gms. is allowed to adjust the weight, provided the bunch meets all other requirements of the specified grade.

**Size tolerance:**

Extra Class, Class I, Class II: 10% by weight of bunches not satisfying the size requirements for the grade, but meeting the size requirements for the grade immediately below.

**आंतरिक एलर्ट जानकारी**  
**(एनआरएल द्वारा जारी किया जाए)**  
**फोन: 020-6914245; फैक्स: 020-6914246; ई-मेल: [director.nrcg@icar.gov.in](mailto:director.nrcg@icar.gov.in)**

एलर्ट जानकारी सं.

मूल

विषय : एमआरएल पृष्ठ के अतिरिक्त \_\_\_\_\_ रसायनों का पता लगाना:

पृष्ठों की संख्या .....

1. वस्तु का नाम और विविधता:
  2. फार्म / प्लॉट पंजीकरण संख्या:
  3. कोड का उत्पादन की संख्या, यदि कोई हो:
  4. कटाई की तिथि:
  5. सैम्पत्र की तारीख:
  6. सैम्पत्र का स्थान: खेत / प्लॉट
- पैक हाउस
7. विश्लेषण की अवधि: ..... से .....
  8. विश्लेषण की खोज

- 
- 
- 
9. राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला द्वारा सिफारिशें
- 
- 
- 

दिनांक: समन्वयक का हस्ताक्षर /

स्थान: एनआरएल का अधिकृत हस्ताक्षर

सील के साथ

इसकी प्रतियां:

1. संबंधित कृषि / बागवानी अधिकारी
2. राज्य सरकारें
3. सभी पीएससी जारी करने वाले प्राधिकारी
4. एपीडा, नई दिल्ली
5. सभी अधिकृत प्रयोगशालाएँ
6. उत्पादकों का संघ
7. किसान संघ
8. एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन







